अध्याय – 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.1 ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमें

जीवित रहने के लिए जल अनिवार्य है और मानव स्वास्थ्य के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है। सामाजिक-आर्थिक विकास की सफलता शुद्ध पेयजल पर निर्भर करती है। जलापूर्ति स्कीमों का मुख्य लक्ष्य शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना था। ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति स्कीमों की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

एक व्यापक पंचवर्षीय जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी। केवल मांग के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। आगे, 455 बस्तियों में जल की कमी थी और 73 नगरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.1, 2.1.6.3 और 2.1.6.4)

5,003 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक 1,857 स्कीमों को अपूर्ण छोड़ते हुए केवल 3,145 स्कीमें (63 प्रतिशत) पूर्ण की गई। अपरिष्कृत जल की उपलब्धता, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्ति, भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना जल कार्यों के लिए अनुपयुक्त स्थलों का चयन, ठेकेदारों के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना, पाईपों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप में 25 स्कीमें अपूर्ण रही तथा ₹ 30.46 करोड़ का निष्फल/व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5 और 2.1.8.7)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन जल संसाधनों की कायमता का घटक सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि इस घटक के लिए अभिप्रेत ₹ 17.39 करोड़ की निधियां जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय कर दी गई थी। आगे, जल कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.8)

354 शहरी जल आपूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक केवल 213 स्कीमें (60 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। तीन स्कीमें रेलवे से अनुमति की कमी, स्टोरेज तथा सेडीमेंटेशन टैंकस के लिए भूमि की अनुपलब्धता और भू-स्वामियों के साथ भूमि विवाद न सुलझाने के कारण अपूर्ण पड़ी थी, परिणामस्वरूप ₹ 26.82 करोड़ की निधियों का अवरोधन/निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.10 से 2.1.8.13)

चयनित जिलों में पानी के 2,19,000 नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1,08,593 (50 प्रतिशत) नमूने एकत्र किए गए और परीक्षण किए गए जिनमें से 13 प्रतिशत अयोग्य पाए गए। आगे, स्वास्थ्य विभाग के डाटा के अनुसार, जीवाणु-वैज्ञानिक परीक्षण के लिए जांचे गए 15,481 नमूनों में से 5,818 नमूने (38 प्रतिशत) मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए।

(अनुच्छेद 2.1.8.14)

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सृजित परिसंपत्ति के रिकार्ड समुचित रूप से नहीं रखे गए थे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी और विभिन्न रिपोर्ट उपचारक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 से 2.1.9.3)

2.1.1 प्रस्तावना

जीवित रहने के लिए जल अनिवार्य है और मानव स्वास्थ्य के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है। सामाजिक-आर्थिक विकास की सफलता सुरक्षित शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जलापूर्ति स्कीमों का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना था। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जल की आपूर्ति के मानदंड मरूस्थल रहित जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल स्कीम के अंतर्गत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (ली.प्र.व्य.प्र.) और नाबार्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) और मरूस्थल विकास कार्यक्रम (म.वि.का.) के अंतर्गत स्कीमों के लिए 70 ली.प्र.व्य.प्र. निश्चित किए। शहरी क्षेत्रों में 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों के लिए मानदंड 110 ली.प्र.व्य.प्र. और 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 135 ली.प्र.व्य.प्र. थे। 31 मार्च 2010 को, राज्य में 149 जल की कमी वाले गांव थे। भारत सरकार का केंद्रबिंदु गांवों की बजाय जनसंख्या के हिसाब से बस्तियों की कवरेज की तरफ परिवर्तित हो गया। मार्च 2011 को राज्य में 7,385 बस्तियों में से 1997 बस्तियां ऐसी थीं जहां कवरेज और जलापूर्ति मानदंडों से कम थी। ये सभी बस्तियां, उन बस्तियों सहित, जिनमें पहले पर्याप्त जल था परंतु बाद में जल की कमी वाली बन गई थी, 2011-15 के दौरान संवर्धित की जानी प्रस्तावित की गई। तथापि, अभी भी मार्च 2015 तक 455 बस्तियां जल की कमी वाली थी।

गांवों में जलापूर्ति स्कीमें केंद्रीय प्रयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम म.वि.का. और अन्य राज्य वित्त पोषित स्कीमों के अधीन कार्यान्वित की जा रही थी। शहरी जलापूर्ति स्कीमें तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) की निधियों, आर्थिक प्रेरक पैकेज (आ.प्रे.पै.) और अन्य राज्य स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के लिए नाबार्ड से और रा.रा.क्षे. नगरों में शहरी जलापूर्ति स्कीमों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (रा.रा.क्षे.आ.बो.) से ऋण लिए जा रहे थे। अंबाला, कैथल, फतेहाबाद में आ.प्रे.पै. के अधीन जलापूर्ति स्कीमें समय पर पूर्ण और चालू कर ली गई थी और सुचारू रूप से कार्य कर रही थी (मार्च 2015)।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

हरियाणा राज्य जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बोर्ड), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अधीन सीवरेज और जलापूर्ति स्कीमों के लिए अनुमोदन देता है और उनके कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान करता है। हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (प्रधान सचिव), जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है और नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रमुख अभियंता (प्र.अ.) नियंत्रक अधिकारी होता है और चार मुख्य अभियंताओं और एक निदेशक, जल तथा स्वच्छता समर्थन संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.)-सह-मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंताओं (अ.अ.) की अध्यक्षता में 15 परिमंडल कार्यालयों के साथ और कार्यकारी अभियंताओं (का.अ.) की अध्यक्षता में 56 मंडलीय कार्यालयों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। कार्यों के निष्पादन के लिए मंडलीय स्तर पर कार्यकारी अभियंता उत्तरदायी होते हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य ये मूल्यांकित करना था कि क्या:

- आयोजना की प्रक्रिया पर्याप्त थी;
- वित्तीय प्रबधन मजबूत था;
- स्कीमों का कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण तथा मितव्ययी था; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और पद्धति

बोर्ड, प्रमुख अभियंता के कार्यालय और राज्य में 21[1] जिलों में से सात[2] जिलों के 15 परिमंडलों में से आठ के अधीन 56 मंडलों में से 21 मंडलों में 2010-15 की अवधि को आवृत्त करते हुए जनवरी-मई 2015 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। एंट्री कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता के सुझाव पर तीन और मंडल अर्थात् कैथल-1, कैथल-2 और फतेहाबाद चयन किए गए। इकाइयों का चयन बिना परिवर्तन संभावित आकार पद्धति अपनाते हुए किया गया था। इसके अतिरिक्त, पायलट स्टडी के अधीन आवृत्त पंचकुला और रेवाड़ी जिलों में परिणामों को भी शामिल किया गया है। 2010-15 के दौरान चयनित मंडलों में 1,554 कार्य निष्पादित किए गए और ₹ 1,574.49 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 1,300.62 करोड़ के व्यय से आवेष्टित 293 कार्य विस्तृत संवीक्षा के लिए चुने गए।

विषय पर पूर्ववर्ती की गई लेखापरीक्षा निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में शामिल की

[1] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल: 1. अंबाला शहर, 2. अंबाला छावनी, 3. भिवानी I, 4. भिवानी II, 5. भिवानी III, 6. चरखी दादरी, 7. तोशाम, 8. सिवानी, हिसार I, 10. हिसार II, 11. हिसार III, 12. हांसी, 13. झज्जर I, 14. झज्जर II, 15. झज्जर III, 16. कुरूक्षेत्र, 17. महेन्द्रगढ़, 18. नारनौल I, 19. सिरसा I, 20. सिरसा II, 21. सिरसा III.

[2] 1. अंबाला, 2. भिवानी, 3. कुरूक्षेत्र, 4. झज्जर, 5. हिसार, 6. महेन्द्रगढ़ और 7. सिरसा।

गई थी और 2012-13 के दौरान लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा करते समय लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

जनवरी 2015 में प्रधान सचिव, ज.स्वा.अ.वि. के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड तथा लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ सितंबर 2015 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई। विभाग के उत्तर और एग्जिट कांफ्रेंस के विचार रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्टें और परियोजनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्टें।
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड।
- जलापूर्ति एवं उपचार पर भारत सरकार का मैनुअल।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 आयोजना

2.1.6.1 विस्तृत दीर्घावधि मास्टरप्लान का तैयार न करना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद-14 में प्रावधान है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक पंच वर्षीय विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आपसी सलाह पर आधारित उप लक्ष्य और प्राथमिकताएं निश्चित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने विस्तृत पंचवर्षीय योजना नहीं तैयार की है। वार्षिक योजनाएं विभिन्न क्वार्टरस अर्थात् ग्रामवासियों, ग्राम पंचायतों (जी.पीज) इत्यादि से मांगों के आधार पर तैयार की गई थी। विस्तृत दीर्घावधि आयोजना का तैयार न करना, विभाग की योजना की अपर्याप्तता को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप, अनेक क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में आपूरित नहीं किया जा सका जैसे कि अनुच्छेद 2.1.6.3 में चर्चा की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को इस उद्देश्य के लिए दृश्य दस्तावेज के अनुरूप दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए मुख्य अभियंताओं की एक समिति गठित करने के निदेश दिए।

2.1.6.2 मैनुअल का तैयार न किया जाना

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 1999 में जल आपूर्ति और उपचार पर एक मैनुअल तैयार किया था परंतु विभाग ने विभिन्न जल आपूर्ति स्कीमों के निष्पादन के लिए न तो भारत सरकार के मैनुअल का अनुसरण किया और न ही अपना मैनुअल तैयार किया था।

यदि विभाग ने जनसाधारण को पेयजल की आपूर्ति के लिए स्कीम के प्रारंभ से ही जलापूर्ति स्कीमों की विभिन्न गतिविधियों पर मार्गनिर्देश के लिए एक प्रमाणित मैनुअल तैयार किया होता, तो स्कीमों का कार्यान्वयन एक अधिक सुगठित ढंग से किया जा सकता था और स्कीमों के पूर्ण न होने, अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता, दूषित जल की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न अपर्याप्तताओं अकुशलताओं का परिहार किया जा सकता था जैसा कि अनुवर्ती पैरों में चर्चा की गई है।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि विभाग शहरी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी मैनुअल का अनुसरण कर रहा था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा मैनुअल के न अपनाए जाने के बारे में इंगित किए जाने पर, प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को, मैनुअल को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए मामला प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिए।

2.1.6.3 बस्तियों की कवरेज की प्रगति

भारत सरकार का केंद्र बिंदु अप्रैल 2011 से पेयजल की आपूर्ति के लिए बस्तियों[3] के कवरेज पर था। राज्य में 7,385 बस्तियों में से, 1,997 बस्तियों में पानी की आपूर्ति एवं कवरेज मानदंडों से कम थी। उन बस्तियों को मिला कर जिनमें पहले पर्याप्त पानी था परंतु बाद में पानी की कमी हो गई, ये 1,977 बस्तियां 2011–15 के दौरान संवर्धित किए जाने प्रस्तावित थे। 2010–15 की अवधि के लिए जल की कमी वाले बस्तियों के कवरेज के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	कवरेज (छोड़ी गई स्कीमों सहित)	शेष	वापसी तथा पहले कवर न की गई बस्तियों के कारण वृद्धि	जल की कमी वाली कुल बस्तियां
2010-11	1,007	752	255	688	943
2011-12	943	859	84	871	955
2012-13	955	895	60	801	861
2013-14	861	702	159	375	534
2014-15	534	578	(-) 44	499	455

स्रोतः प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदत्त डाटा।

टिप्पणीः लक्ष्य, विभाग द्वारा, बस्तियों, जो जल की कमी वाली श्रेणी में वापस चली गई थी को परिगणना में लेते हुए।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011–14 के दौरान जल की कमी वाली बस्तियों को कवर करने के लक्ष्य 2011–14 के दौरान प्राप्त नहीं किए गए थे। आगे, 455 बस्तियां अभी भी जल की कमी वाली थी।

आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना–जांच किए गए 15 मंडलों में, 1,827 गांवों में से, 1,084 गांव (59 प्रतिशत) जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में विवरण दिया गया है पानी की कमी वाले थे क्योंकि पानी की आपूर्ति 55/70 ली.प्र.व्य.प्र. से कम थी। इस प्रकार, जल आपूर्ति स्कीमों के संवर्धन के लिए प्लानिंग में सही सर्वेक्षण तथा गांवों में जलापूर्ति की स्थिति के बारे में मूल वास्तविकता सुनिश्चित करके सुधार की आवश्यकता है।

[3] बस्तियों का अर्थ है गांव, ढाणियां इत्यादि जहां लोग रहते हैं।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि जल की कमी वाले उन गांवों को ध्यान में रखा गया जहां कवरेज की प्रतिशतता 50 से कम थी या जहां जल की अनुमति की स्थिति 40 ली.प्र.व्य.प्र. से कम थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि जल की कमी वाले गांव वे गांव थे जहां जल आपूर्ति विभिन्न क्षेत्रों में स्कीमों के संदर्भ में निर्धारित मानदंडों अर्थात् 50/70 ली.प्र.व्य.प्र. से कम थी। प्रधान सचिव ने, तथापि, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान जल आपूर्ति स्कीमों की समयपूर्व पूर्णता को त्वरित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

2.1.6.4 नगरों के कवरेज की स्थिति

मार्च 2015 तक राज्य में 154 नगरों (2011 की जनगणना के अनुसार) में से केवल 78 नगर पाईप वाली जल आपूर्ति से आवृत्त थे। पंचकुला की जल आपूर्ति स्कीमों का रख-रखाव हुडा द्वारा तथा फरीदाबाद तथा गुड़गांव की स्कीमों का संबंधित नगर निगमों द्वारा किया जा रहा था। शेष 73 नगर पाईप वाले जलापूर्ति कनैक्शनों से आवृत्त नहीं थे और इन नगरों को जलापूर्ति के लिए कवर करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार नहीं की गई है। अत: इन नगरों में जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की उपलब्धि की संभावना अभी सुदूर है।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अप्रैल 2015) कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत सरकार ने ऐसे निवासस्थान जो 50,000 से अधिक जनसंख्या; जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर से अधिक और 75 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या की अकृषि क्रियाओं में संलिप्ति, को नगर घोषित किया है परंतु विभाग उन नगरों में जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा था जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचित थे। तथ्य यह रहता है कि विभाग ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 73 नगरों को कवर करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं बनाई है। प्रधान सचिव ने भी एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को उपचारात्मक उपाय करने हेतु निदेश दिए।

2.1.7 वित्तीय परिव्यय और व्यय

2010-15 की अवधि के लिए ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमों पर किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:

ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति स्कीमें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत (प्रतिशतता)	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
2010-11	227.00	425.50	163.78	401.74	63.22 (28)	23.76 (6)
2011-12	288.68	281.90	198.97	249.55	89.71 (31)	32.35 (11)
2012-13	293.00	253.86	216.99	214.07	76.01 (26)	39.79 (16)
2013-14	356.00	375.91	292.07	271.31	63.93 (18)	104.60 (28)
2014-15	387.89	591.84	339.00	467.87	48.89 (13)	123.97 (21)
कुल	**1,552.57**	**1,929.01**	**1,210.81**	**1,604.54**	**341.76 (22)**	**324.47 (17)**

स्रोत: ज.स्वा.अ.वि. द्वारा आपूरित आंकड़े।

इस प्रकार, बचतें ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत 13 और 31 प्रतिशत के बीच और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत 6 और 28 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

बचतें मुख्यत: ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के धीमे कार्यान्वयन के कारण थी जैसा कि अनुच्छेद 2.1.8.1 और 2.1.8.10 में चर्चित है। प्रमुख अभियंता ने आगे एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि बचतें मुख्यत: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में लिए गए समय के कारण थी। उत्तर पूर्णत: युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बचतें मुख्य रूप से अपरिष्कृत जल की उपलब्धता के बिना, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमतियां प्राप्त करने, भूमि के स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किए बिना स्कीमें आरंभ करने निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब, डी.आई. पाईपों की अनुपलब्धता इत्यदि के कारण स्कीमों के अपूर्ण रहने के कारण भी थी।

2.1.7.1 संस्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) कोड के अनुच्छेद 10.16 के अनुसार जब भी दरों के अपर्याप्त पाए जाने के या अन्य किसी भी कारणों से संस्वीकृत अनुमान के बढ़ने की संभावना हो तो एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नमूना–जांच किए मंडलों में से 10 में यह देखा गया कि ₹ 80.72 करोड़ के अनुमोदित अनुमानों के विरूद्ध, 2010–15 के दौरान 162 निर्माण कार्यों पर ₹ 100.64 करोड़ का व्यय किया गया जो सक्षम प्राधिकारियों से संस्वीकृति लिए बिना संस्वीकृत अनुमानों से ₹ 19.92 करोड़ अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में विवरण दिया गया है। 10 चयनित मंडलों में सक्षम प्राधिकारी से अभी भी संस्वीकृत किया जाने वाला अधिक व्यय ₹ 30.23 लाख और ₹ 954.58 लाख के बीच था। पांच मंडलों में, अधिक व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक था। अप्रैल 2015 तक इन निर्माण कार्यों के संशोधित अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि संशोधित अनुमान तैयार किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए जाएंगे। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच के निदेश दिए।

2.1.7.2 निष्पादन प्रतिभूति का प्राप्त न करना

हरियाणा लो.नि.वि. कोड, की क्लॉज 13.12 के अनुसार टेंडर दस्तावेज में यह प्रावधान हो कि टेंडरकर्ता सयोरिटी के रूप में रखने हेतु कि ठेकेदार कार्य संतोषजनक पूर्ण करेगा, निष्पादन प्रतिभूति (अनुबंध कीमत का 5 प्रतिशत या ऐसी प्रतिशतता जो निर्धारित किया जाए) प्रस्ततु करेगा जो बैंक गारंटी के रूप में हो, प्रारंभ में, निष्पादन गारंटी दोष दायिता अवधि की समाप्ति (जमा 30 दिनों या जैसा अनुबंध डाटा में निर्धारित हो) तक वैध रहेगी। पूर्णता का समय बढ़ाने के मामले में निष्पादन की वैधता तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना–जांच किए गए 26 मंडलों में से 13 में ₹ 34.52 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति वाले ₹ 690.40 करोड़ के 5,895 अनुबंधों के संबंध में टेंडर दस्तावेजों में निष्पादन प्रतिभूति (अनुबंध राशि के पांच प्रतिशत की दर पर) का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। ठेकेदारों द्वारा कार्य को संतोषजनक ढंग से पूर्ण न करने पर लो.नि.वि. कोड के प्रावधानों का अनुसरण न किया जाना/लागू न किया जाना सरकार के वित्तीय हितों के विरूद्ध है।

यह देखा गया कि ₹ 8.01 करोड़ मूल्य के आठ निर्माण कार्यों के मामले में ठेकेदारों ने निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया। तथापि, डी.एन.आई.टीज में निष्पादन प्रतिभूति के लिए प्रावधान के अभाव के कारण ₹ 0.40 करोड़ की राशि एकत्रित नहीं की जा सकी या प्रतिभूति के लिए नहीं रखी जा सकी। यदि टेंडर दस्तावेजों में प्रावधान शामिल किया गया होता तो विभाग यह राशि वसूल करने में समर्थ होता।

प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि चूककर्ता अधिकारियों की उत्तरदायिता निश्चित की जाएगी और निवारक उपाय किए जाएंगे।

2.1.7.3 निर्माण कार्यों का अनियमित विभाजन

समय-समय पर प्रमुख अभियंता द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कार्यों के आबंटन को अधिकारी के प्राधिकार के भीतर रखने के लिए अनुमान के विभाजन/विक्लॉजन, आपात परिस्थितियों को छोड़कर से बचना चाहिए।

नमूना-जांच किए गए मंडलों में से 18 में यह देखा गया कि 190 अनुमान/निर्माण कार्य संबंधित ई.ईज द्वारा आबंटन को अपने प्राधिकार में रखने के लिए ₹ 30.74 करोड़ अनुमान के 1,028 अनुबंधों में विभक्त कर दिए गए। इन मामलों में से दो मामलों, जहां निर्माण कार्य 33 और 20 बार के लिए बार-बार विखंडित किए गए थे, की चर्चा नीचे की गई है:

जल आपूर्ति स्कीम सिरसा के संर्वधन के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने का निर्माण कार्य 33 अनुबंधों में विखंडित किए गए और जून 2011 और मार्च 2015 के बीच ₹ 1.08 करोड़ का व्यय किया गया। इसी प्रकार, जल आपूर्ति स्कीम ऐलनाबाद के संवर्धन के अंतर्गत पाईप लाईनें बिछाने का निर्माण कार्य जनवरी 2012 तथा मार्च 2015 के बीच किए गए ₹ 0.70 करोड़ के कुल व्यय के साथ 20 अनुबंधों में विभाजित किया गया। निर्देशों की इस स्पष्ट अवज्ञा के औचित्य का कोई अभिलिखित कारण नहीं था जबकि यह स्पष्ट था कि प्रत्येक अनुबंध की राशि ₹ पांच लाख के नीचे रखी गई थी यानि ताकि यह कार्यकारी अभियंता की शक्तियों के अंतर्गत रहे।

प्रमुख अभियंता के निर्देशों की उल्लंघना वित्तीय अनुशासनहीनता थी, इसके अतिरिक्त उच्च मूल्य के निर्माण कार्यों का निष्पादन करने वाली एजेंसियों के हिस्सा न लेने के कारण टेंडरिंग प्रक्रिया में निहित प्रतियोगी बोली के लाभों से विभाग वंचित रहा। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के निदेश दिए। प्रमुख अभियंता ने आगे सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि 40 से अधिक चूककर्ता अधिकारियों को चार्जशीट दी गई थी।

2.1.7.4 भूमि अधिग्रहण कलक्टरज को अग्रिम

लेखा कोड क्लॉज-III की धारा 57 के साथ पठित धारा 54 के अनुसार भूमि अधिग्रहण संग्रहकर्ताओं (एल.ए.सीज) को दिए गए अग्रिम भुगतानों को विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिमों (एम.पी.डब्ल्यू.ए.) के अंतर्गत रखना चाहिए।

26 नमूना-जांच किए गए मंडलों में से 12 में एल.ए.सीज को जल आपूर्ति स्कीमों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 175.96 करोड़ अग्रिम दिए गए परंतु राशियां एम.पी.डब्ल्यू.ए. के

अंतर्गत लेखांकित नहीं की जा रही थी। जिसने शेष निधियों की वसूली मॉनीटर करना मुश्किल कर दिया। आगे, अन्य अभिलेख जैसे अग्रिम भुगतानों के समायोजन को मॉनीटर करने वाले रजिस्टर एवं विवरणियां भी निर्धारित नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.76 करोड़ की राशि की अव्ययित निधियां नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार दो एल.ए.सीज के पास रही:

मंडल का नाम	कार्य का नाम	एल.ए.सी. का नाम	जमा की गई राशि	संवितरित राशि / संवितरण का मास	अव्ययित राशि (कब से)
			(₹ करोड़ में)		
पी.एच.ई. फतेहाबाद	द्वितीय वाटर वर्क्स फतेहाबाद	डी.आर.ओ. - सह - एल.ए.सी. फतेहाबाद	19.17	18.69/ अक्तूबर 2011	0.48 अक्तूबर 2011
पी.एच.ई. सिवानी	द्वितीय वाटर वर्क्स सिवानी	डी.आर.ओ. - सह - एल.ए.सी. भिवानी	1.91	1.63/ अक्तूबर 2012	0.28 अक्तूबर 2012

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, लेखांकन प्रावधान का अनुपालना न करने और अपर्याप्त मानीटरिंग यंत्रावली के कारण ₹ 0.76 करोड़ की निधियां एल.ए.सीज के पास अवरूद्ध पड़ी रही। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान एल.ए.सी. द्वारा किए गए कार्य के भुगतान तथा शेष राशि वापस प्राप्त होने तक एम.पी.डब्ल्यू.ए. में ऐसे अग्रिम भुगतानों का रखना सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियंता को निदेश दिए।

2.1.7.5 बिजली घटक का रख - रखाव न करने के कारण अपरिहार्य व्यय

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (द.ह.बि.वि.नि.) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (उ.ह.बि.वि.नि.) (पहले हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड) ने निदेश जारी किए (जून 1996 और जनवरी 1997) कि प्रत्येक उच्च दाब (उ.दा.) उपभोक्ता को मासिक औसत बिजली घटक (एम.ए.पी.एफ.) 90 प्रतिशत रखना चाहिए। यदि उपभोक्ता निर्धारित बिजली घटक रखने में विफल रहता है तो द.ह.बि.वि.नि./उ.ह.बि.वि.नि. बिजली घटक में 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच कमी के प्रत्येक प्रतिशत के लिए ऊर्जा प्रभारों के एक प्रतिशत के बराबर; और उसके बाद बिजली घटक में कमी के प्रत्येक प्रतिशत पर दो प्रतिशत जुर्माना उद्गृहीत करते हैं। निर्धारित बिजली घटक को कायम रखने के लिए, पर्याप्त कैपेसिटर्ज के प्रस्थापन अपेक्षित हैं।

छ:[4] नमूना - जांच किए मंडलों में यह देखा गया कि विभाग ने 2010 - 15 के दौरान पर्याप्त कैपेसिटर्ज प्रस्थापित करके निर्धारित बिजली घटक को कायम नहीं रखा। परिणामत: विभाग को 2010 - 15 के दौरान ₹ 11.60 करोड़[5] के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा था। समय पर पर्याप्त कैपेसिएटर्ज के प्रस्थापन द्वारा निर्धारित बिजली घटक को कायम रख कर इस अतिरिक्त व्यय का परिहार किया जा सकता था। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान उत्तरदायिता नियत करने और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

[4] ज.स्वा.अ.वि., (1) रेवाड़ी - I, (2) चरखी दादरी, (3) महेन्द्रगढ़, (4) भिवानी - I, (5) सिरसा - I तथा (6) नारनौल - III.

[5] ज.स्वा.अ.वि., (1) रेवाड़ी - I: ₹ 2.27 करोड़, (2) चरखी दादरी: ₹ 0.19 करोड़, (3) महेन्द्रगढ़: ₹ 4.39 करोड़, (4) भिवानी - I: ₹ 0.73 करोड़, (5) सिरसा - 1: ₹ 1.75 करोड़ तथा (6) नारनौल - III: ₹ 2.27 करोड़।

2.1.8 स्कीमों का कार्यान्वयन

ग्रामीण जल आपूर्ति

2.1.8.1 ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की पूर्णता में धीमी प्रगति

राज्य में वर्ष 2011-15 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन हेतु ली गई और पूर्ण की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	आरंभिक शेष (स्कीमों की संख्या)	वर्ष के दौरान निष्पादन हेतु ली गई नई स्कीमों की संख्या	निष्पादन के अंतर्गत स्कीमों की कुल संख्या	पूर्ण की गई स्कीमों की संख्या	शेष
2010-11	1,462	1,108	2,570	445	2,125
2011-12	2,125	703	2,828	548	2,280
2012-13	2,280	1,012	3,292	558	2,734
2013-14	2,734	413	3,147	643	2,504
2014-15	2,504	305	2,809	951	1,858
कुल		**3,541**		**3,145**	

स्रोत: पी.एच.ई. विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

2010-15 के दौरान, 5,003 स्कीमों में (2010-11 के प्रारंभ में चल रही 1,462 स्कीमों सहित), मार्च 2015 तक 1,858 स्कीमें शेष छोड़ते हुए केवल 3,145 स्कीमें (63 प्रतिशत) पूर्ण की गई।

नमूना-जांच किए गए 293 निर्माण कार्यों में से, 14 मंडलों में 26 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे। स्कीमें मुख्यत: अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित न करने, वन विभाग से अनुमति न लेने, जल निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त स्थल निश्चित न करने, पाईपों की खरीद से संबंधित मामलों और ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अपूर्ण रह गई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों (2.1.8.2 से 2.1.8.7) में चर्चा की गई है। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान जल आपूर्ति स्कीमों की समय पर पूर्णता को त्वरित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

2.1.8.2 अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्कीमों को लिया जाना

हरियाणा लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 10.12.2 (बी) में प्रावधान है कि जल आपूर्ति निर्माण कार्यों के अनुमान तैयार करते समय विभाग को पानी के स्रोत, उसकी क्षमता और गुणवत्ता, मौसमी भिन्नताएं, पानी के वैकल्पिक स्रोत जो प्रत्येक के संबंधित गुणों और आर्थिकता के साथ-साथ उपयोग या विकसित किया जा सके, को सुनिश्चित करना चाहिए। नहर पर आधारित स्कीम के मामले में, उपलब्ध रहने वाले पानी की आश्वासित मात्रा और वाटर वर्क्स साइट इत्यादि के स्तर के संबंध में नहर के पूर्ण आपूर्ति स्तर इत्यादि को सुनिश्चित करना चाहिए।

अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्कीमों को लेने को दर्शाने वाली एक अभ्युक्ति को मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)-हरियाणा सरकार में अनुच्छेद 3.2.7.7 के अंतर्गत शामिल किया गया था और लोक लेखा समिति ने अपनी 68वीं रिपोर्ट (2012-13) में सिफारिश की थी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति के परिहार के लिए एक नीति बनाई जाए और समिति को तदनुसार

सूचित किया जाए। तथापि, आगे, प्रगतियां प्रतीक्षित थी (जनवरी 2016)। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना/नीचे दिए विवरण अनुसार अपरि कृत जल प्राप्त करने के लिए सिंचाई विभाग से स्वीकृति लिए बिना जल आपूर्ति स्कीमों के निष्पादन के कार्यों को प्रारंभ कर दिया।

स्कीम का नाम	अनुमोदन तिथि और अनुमानित लागत	आबंटन की तिथि/पूर्णता की नियत तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
पी.एच.ई. मंडल चरखी दादरी के अंतर्गत कादम के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करने का कार्य	जून 2008/ ₹ 1.27 करोड़	10 अगस्त 2009/ 9 मई 2010	1.39	कार्य नवंबर 2011 में पूर्ण किया गया। स्कीम को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका क्योंकि वाटरवर्क्स के लिए माधवगढ़ फीडर पर पानी उपलब्ध नहीं था।
पी.एच.ई. मंडल 2 सोनीपत के अंतर्गत जलापूर्ति स्कीम, नासिरपुर, बांगर और भोयापुर का संवर्धन	दिसंबर 2012/ ₹ 1.20 करोड़	8 अप्रैल 2013/ 7 अप्रैल 2013	1.16	निकटवर्ती नहर/माईनर से अपरिष्कृत जल के इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। आगे, विभाग ने इनलेट चैनल के आउटलेट के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी।
पी.एच.ई. मंडल नं. 2 कैथल के अंतर्गत स्वतंत्र आर.डब्ल्यू.एस. स्कीम, कमालपुर	जुलाई 2007/ ₹ 0.80 करोड़	अप्रैल 2008/ मार्च 2009	1.27	कार्य एक एजेंसी को ₹ 76.45 लाख के लिए 12 मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया (अप्रैल 2008)। अपरिष्कृत जल कमालपुर माईनर के अंतिम छोर से लिया जाना था। एस.ई. ने स्थल का निरीक्षण किया (अप्रैल 2010) और देखा कि कमालपुर माईनर में अपरिष्कृत जल उपलबध नहीं था और कार्य के आगामी निष्पादन को रोकने और बाडसिकरी माईनर से अपरिष्कृत जल लाने के लिए संप कुआं, पपिंग मशीनरी और राइजिंग मेन के लिए एक डी.एन.आई.टी. तुरंत तैयार करने के आदेश दिए। तदनुसार, इस कार्य के लिए ₹ 52.95 लाख की लागत पर एक अनुमान प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित किया गया (मई 2010) परंतु भू-स्वामियों के विरोध के कारण इस अनुमोदन के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया। तथापि, पहली एजेंसी का कार्य ₹ 79.93 लाख की लागत पर अंतिम कर दिया गया (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कमालपुर माईनर के अंतिम सिरे पर पानी उपलब्ध नहीं था और स्कीम अपरिष्कृत जल की उपलब्धता बारे सही सर्वेक्षण के बिना प्रारंभ कर दी गई।
पी.एच.ई. मंडल नं.2 कैथल के अंतर्गत 3 गांवों के उज्जैना ग्रुप के लिए नहर आधारित स्वतंत्र जलापूर्ति	जुलाई 2007/ ₹ 1.05 करोड़	09 अप्रैल 2008/ 08 अप्रैल 2009	1.06	स्कीम ₹ 1.06 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई (अगस्त 2010) परंतु पानी की व्यवस्था कम गहरे ट्यूबवैलों के माध्यम से की जा रही थी क्योंकि स्रोत अर्थात् कुल तरन माईनर पर पर्याप्त अपरिष्कृत जल उपलब्ध नहीं था। एस.ई. तथा मुख्य अभियंता ने अगस्त 2012 में स्थल विजिट के समय भी पर्याप्त अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता इंगित की थी। इस प्रकार, नहर आधारित स्कीम पर्याप्त अपरिष्कृत जल की उपलब्धता निर्धारित किए बिना तैयार की गई थी।
	कुल		**4.88**	

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित स्कीमें स्रोत पर अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप स्कीमें अपूर्ण/परित्यक्त रही जिससे ₹ 4.88 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि विभाग फील्ड अधिकारियों को नहर पर आधारित जल आपूर्ति स्कीमों को केवल नहर नेटवर्क में अपरिष्कृत जल सुनिश्चित करने के बाद ही तैयार करने के लिए निरंतर निर्देश जारी कर रहा है और विभाग सिंचाई विभाग से अपरिष्कृत जल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही स्कीम ले रहा था। परंतु नहरों के टेल ऐंड पर पानी की कमी के कारण आउट लेट कनैक्शन प्वायंट्स स्थानान्तरित किए जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार, जल आपूर्ति स्कीमों के लिए नहरों से अपरिष्कृत जल सुनिश्चित करने की प्रणाली कड़ी नहीं थी।

2.1.8.3 संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस तथा भूमि का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किए बिना स्कीमों को लेना

लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 15.1.4 में प्रावधान है कि भूमि/स्थल जिस पर निर्माण किया जाना है, संबंधित विभाग के आधिपत्य में होना चाहिए या भूमि के प्रभारी विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। आगे, अनुच्छेद 15.2.1 में प्रावधान है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में कुछ क्लीयरेंस, उपयोगिताओं का पुनर्स्थापन और परमिट की प्राप्ति अपेक्षित होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और निष्पादन के लिए निर्माण कार्य संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति/क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना लिए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में पांच मामलों में उदाहरण दिए गए हैं।

परिशिष्ट के विश्लेषण ने दर्शाया कि स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों अर्थात वन विभाग और सिंचाई विभाग से आवश्यक क्लीयरेंस लिए बिना निष्पादित की गई थी, परिणामत: ₹ 7.50 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, पेयजल उपलब्ध करवाने की स्कीम का उद्देश्य अप्राप्त रहा। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रकट किया कि संबंधित प्राधिकारियों से क्लीयरेंस लेने में काफी समय अपेक्षित होता है, परंतु विभाग द्वारा इतनी लंबी प्रतीक्षा स्कीमों के कार्यान्वयन को और मुश्किल बना देगी। उन्होंने, तथापि, विभागीय अधिकारियों को संबंधित प्राधिकारियों से अनुमतियां और क्लीयरेंसिज प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु निदेश दिए।

2.1.8.4 वाटर वर्क्स संरचनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन न करना

हरियाणा लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 10.12.2 (एफ) में प्रावधान है कि जल आपूर्ति निर्माण कार्य के अनुमान तैयार करते समय विभाग को स्थल आकृति, भूमि का वर्तमान और भविष्य प्रयोग और सामाजिक-आर्थिक संरचनाएं, संवाहक नहरों के स्थान की सीध, उपचारक प्लांट्स का स्थान इत्यादि के निबंधन में परियोजनाओं का एक सर्वेक्षण करना चाहिए। नमूना-जांच किए मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अनुमान तैयार करते समय और निर्माण कार्य का निष्पादन लेने से पहले परियोजना क्षेत्र की स्थल आकृति का सही ढंग से सर्वेक्षण/जांच नहीं किया गया क्योंकि भूमि, जहां जल उपचारक प्लांट प्रस्थापित किए जाने थे,

इस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त पाई गई थी जैसाकि नीचे तालिका में तीन मामलों के संबंध में दर्शाया गया है:

कार्य का नाम	अनुमोदित तिथि और संस्वीकृत राशि	आबंटन की तिथि/पूर्णता की नियत तिथि	मार्च 2015 में व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
संवर्धन जल आपूर्ति स्कीम नीमरी, पी.एच.ई. मंडल – I भिवानी के अंतर्गत आने वाली जलापूर्ति में सुधार के लिए	सितंबर 2012 ₹ 1.89 करोड़ की लागत पर	(1) सितंबर 2013 / 6 मास (2) मई 2013 / 12 मास	1.25	हैडवर्क्स, एस.एस. टैंक, आर.सी.सी. सक्शन वैल इत्यादि पर इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य सब-सॉयल पानी में बढ़ोतरी के कारण रोक दिया गया। पानी निकालने का कार्य दूसरी एजेंसी को आबंटित किया गया परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ इस एजेंसी ने काम छोड़ दिया और ₹ 12.85 लाख का भुगतान किया गया (दिसंबर 2012)। ओ. और एम. सहित फिल्टर पानी से सारी दुर्गन्ध, बदबू हटाने के लिए गतिशील कार्बन फिल्टर प्लांट के साथ निरंतर रेत फिल्टर प्लांट की आपूर्ति, प्रस्थापन और चालू करने का दूसरा कार्य ₹ 68.75 लाख की लागत पर पूर्ण किया गया (मई 2014) परंतु पहले कार्य के निष्पादन न होने के कारण जल आपूर्ति स्कीम का परिचालन नहीं किया जा सका।
पी.एच.ई. मंडल – I झज्जर के अंतर्गत नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम भागपुर	सितंबर 2012 ₹ 7.45 करोड़ की लागत पर	20 मई 2013 / 9 मास	1.07	एजेंसी ने कार्य आरंभ किया और स्थल पर निष्पादित कार्य के लिए ₹ 15.36 लाख का भुगतान अगस्त 2013 में किया गया। उसके बाद एजेंसी ने सब-सॉयल जल स्तर में वृद्धि के कारण कार्य छोड़ दिया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि अगस्त 2012 में सब सोयल जलस्तर सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह उल्लिखित था कि स्परिंग स्तर भूमि स्तर से लगभग तीन फुट नीचे था, फिर भी कार्य आबंटित कर दिया गया। कार्य परित्यक्त पड़ा रहा और सब सोयल जल स्तर के मामले के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, परिणामस्वरूप इस कार्य पर किया गया ₹ 1.07 करोड़ (डी.आई. पाईपों की लागत सहित) का व्यय निष्फल रहा। का.अ.. ने बताया (जनवरी 2015) कि एजेंसी ने सब सोयल जल स्तर में वृद्धि के कारण कार्य बंद कर दिया था।
पी.एच.ई. मंडल चरखी दादरी के अंतर्गत नहर आधारित जल आपूर्ति मानकावास	13 जुलाई 2007 ₹ 1.47 करोड़ संशोधित ₹ 92.58 लाख की लागत पर	अप्रैल 2007 / 9 मास ₹ 0.69 लाख की लागत पर	0.40	एजेंसी ने कार्य आरंभ किया। (5 मई 2007) परंतु कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया। का. अ.. ने ठेका अनुबंध के क्लॉज – II के अंतर्गत ₹ 7.71 लाख की पेनल्टी लगा दी (दिसंबर 2010) परंतु कार्य दुबारा शुरू नहीं किया गया। इसके बाद, विभाग ने कार्य वापस ले लिया और पहली एजेंसी के जोखिम और लागत पर 12 मास की पूर्णता अवधि के साथ अन्य एजेंसी को आबंटित कर दिया (20 जुलाई 2012)। परंतु, इस एजेंसी ने कार्य शुरू नहीं किया और सूचित किया कि कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका क्योंकि जल निर्माण कार्य का स्थल निचाई वाले क्षेत्र में स्थित था और स्थल के पास एक ग्रामीण तालाब था। उसके बाद अव्यवहार्य स्थल परिस्थितियों के कारण नहर आधारित स्कीम का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया (मई 2013)। इस प्रकार, स्थल के अनुपयुक्त चयन के परिणामस्वरूप ₹ 39.88 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।
		कुल	2.72	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, भूमि की उपयुक्तता बारे सही सर्वेक्षण के बिना कार्य का निष्पादन कोड के प्रावधानों के विरूद्ध था जिसने इन तीन स्कीमों पर किए गए ₹ 2.72 करोड़ के व्यय को निष्फल बना दिया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में विभिन्न जल आपूर्ति स्कीमों के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन सुनिश्चित करने के निदेश दिए।

2.1.8.5 निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब

निर्धारित समय-सारणी के भीतर कार्य निष्पादित करने के विचार से ठेका अनुबंध के अंतर्गत शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि यदि कार्य की प्रगति धीमी है, कार्यकारी अभियंता ठेकेदार पर प्रत्येक उस दिन जब कार्य की देय मात्रा अपूर्ण रहती है, के लिए एक प्रतिशत के बराबर क्षतिपूर्ति लगा सकता है लेकिन कुल क्षतिपूर्ति अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (क्लॉज-II)। यदि कार्य पूरा नहीं होता, कार्यकारी अभियंता ठेके को रद्द करने और इसे पूर्ण करने के लिए अन्य ठेकेदार को देने के लिए सक्षम है जिस मामले में ऐसे कोई खर्चे जो मूल ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक किए जाएं यदि उसने पूरा कार्य निष्पादित किया होता; मूल ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे (क्लॉज-III)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 10.99 करोड़ मूल्य ***(परिशिष्ट 2.4)*** की आठ[6] स्कीमों के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेका अनुबंधों के क्लॉज-II और III के अंतर्गत समय पर कार्रवाई न करने के कारण कार्य एक वर्ष चार मास से सात वर्ष एक मास तक श्रृंखलित अवधि हेतु अपूर्ण/परिव्यक्त पड़े रहे। आगे, निर्माण कार्य ठेका अनुबंध के क्लॉज-III के अंतर्गत कार्रवाई करने के बाद भी दूसरी एजेंसियों से पूर्ण नहीं करवाए गए। इस प्रकार, आठ स्कीमों के विरूद्ध ₹ 10.99 करोड़ का व्यय निष्फल बन गया। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या पेयजल से वंचित रही। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायिता नियत करने और निर्माण कार्यों की पूर्णता के लिए उपचारक उपाय सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिए।

2.1.8.6 छाहर कलां, छाहर खुर्द और सिरसी गांवों की अपूर्ण स्कीमें

70 ली.प्र.व्य.प्र. पानी उपलब्ध करवाने के लिए, छाहर कलां, छाहर खुर्द और सिरसी में स्वतंत्र वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए तीन स्कीमें क्रमशः 23 जुलाई 2012, 2 मार्च 2013 और 18 अप्रैल 2013 को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई। निर्माण कार्य दिसंबर 2012 और सितंबर 2013 के बीच 12 मास के भीतर पूर्ण करने हेतु लिए गए थे। इन स्कीमों के कार्यान्वयन पर ₹ 4.39 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2015)। इन स्कीमों के लिए अपरिष्कृत जल आर.डी. 44800-एल. पर बहल डिस्ट्रीब्यूटरी से प्राप्त किया जाना था। छाहर कलां, खुर्द और सिरसी में स्वतंत्र वाटर वर्क्स निर्माण के कार्य पी.एच.ई. मंडल सिवानी द्वारा निष्पादित किए गए और अन्य कार्य जैसे पंपिंग मशीनरी के निर्माण और चालू करने, डी.आई. पाईपें बिछाने और जोड़ने, राइजिंग मेनज, स्वतंत्र वाटर वर्क्स और अन्य मशीनरी तथा आकस्मिक कार्य पी.एच.ई. मंडल-I, भिवानी द्वारा निष्पादित किए जाने थे।

[6] 1. ढुन्ढेरी गांव की नहर आधारित स्वतंत्र जलापूर्ति स्कीम, 2. गांव झारली के लिए स्वतंत्र वाटर वर्क्स प्रदान करना, 3. नहर आधारित जलापूर्ति स्कीम पोटा, 4. नहर आधारित जलापूर्ति स्कीम गुलावाला, 5. तीन गांवों का जलापूर्ति महरामपुर ग्रुप, 6. नहर आधारित जलापूर्ति स्कीम नयागांव और हजारीवास, 7. जलापूर्ति स्कीम अकोडा का संवर्धन और 8. जलापूर्ति स्कीम गांव का पथेरा ग्रुप।

कार्य पी.एच.ई. मंडल, भिवानी द्वारा एक ठेकेदार को ₹ 0.64 करोड़ की अनुमानित लागत पर आबंटित किया गया (अक्तूबर 2014) परंतु ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किया गया (अप्रैल 2015)। तथापि, ठेकेदार के विरूद्ध मंडल द्वारा ठेका अनुबंध के क्लॉज - II और III के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप जलापूर्ति स्कीमें अपूर्ण पड़ी थी (अक्तूबर 2015) और इन गांवों की जनता पेयजल की वर्धित मात्रा से वंचित रही।

उत्तर में, कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई. मंडल सिवानी ने बताया (अप्रैल 2015) कि पी.एच.ई. मंडल - I भिवानी ने आबंटित कार्य का निष्पादन नहीं किया और कार्य अब आगे निष्पादन के लिए उनके मंडल को स्थानान्तरित कर दिया गया था। उसके बाद, कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया जो प्रगति पर था (दिसंबर 2015)। तथ्य रहता है कि पी.एच.ई. मंडल, भिवानी द्वारा कार्य निष्पादित करवाने में कार्रवाई के अभाव में जलापूर्ति स्कीमें अपूर्ण रही।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने सी.ई. (ग्रामीण) को मामला देखने और निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए तुरंत उपचारक उपाय करने के लिए निदेश दिए।

2.1.8.7 डी.आई. पाईपों की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण स्कीमें

हरियाणा लो.नि.वि. कोड का अनुच्छेद 25.3.3 (ए) अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि योजना, प्रापण और आपूर्ति आदेश देते समय खरीद की आवश्यकता किसी विशेष निर्माण कार्य या कार्यों की आवश्यकताएं परिकलित की जानी चाहिए और एक व्यापक प्रलेख भी तैयार करना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि पी.एच.ई. मंडल - I सिरसा द्वारा ₹ 4.66 करोड़ के लिए पांच जलापूर्ति स्कीमों की रूपरेखा बनाई गई और आबंटित की गई (अगस्त 2013 से दिसंबर 2013)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भंडार में डी.आई.पाईप की अनुपलब्धता के कारण हैड वर्क्स पर वितरण पाईप लाईन और पाईप लाईन बिछाने के अलावा इन निर्माण कार्यों के सभी घटक संबंधित एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए गए जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

कार्य का नाम	अनुमोदन तिथि और संस्वीकृत राशि	आबंटन की तिथि/समापन की नियत तिथि	डी.आई. पाइपों की अनुपलब्धता के कारण अक्तूबर 2015 तक विलंब की सीमा (महीनों में)	मार्च 2015 को व्यय (₹ करोड़ में)
ओढान गांव (सिरसा) के दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण	20 अप्रैल 2012 ₹ 1.89 करोड़ की लागत पर मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत	2 अगस्त 2013 / 1 अगस्त 2014	14	1.52
खाड़ियां गांव (सिरसा) की जलापूर्ति स्कीम का नवीकरण और संवर्धन	27 सितंबर 2012 ₹ 1.62 करोड़ की लागत पर म.वि.का. के अंतर्गत	3 सितंबर 2013 / 2 सितंबर 2014	13	0.69
सावंत खेड़ा (सिरसा) स्वतंत्र नहर आधारित वाटर वर्क्स	28 जून 2013 ₹ 1.27 करोड़ की लागत पर ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत	11 दिसंबर 2013 / 10 दिसंबर 2014	10	1.08
नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम का अद्यतन और वाटर वर्क्स कालौना की मरम्मत	18 अप्रैल 2013 ₹ 89.70 लाख, बाद में ₹ 1.32 करोड़ संशोधित किए गए की लागत पर म.वि.का. के अंतर्गत	8 नवंबर 2013 / 7 अगस्त 2014	14	0.72
नहर आधारित संवर्धन जल आपूर्ति स्कीम मनगियाना	28 जून 2013 ₹ 1.33 करोड़ की लागत पर ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत	(i) 27 सितंबर 2013 / 26 जनवरी 2014 (ii) 8 अगस्त 2014 / 7 फरवरी 2015 /	21 20	0.36
		कुल		**4.37**

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, इन अपूर्ण स्कीमों पर 2013 और 2015 के बीच ₹ 4.37 करोड़ का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कोडल प्रावधानों के अनुसार मंडलों को जो कार्य प्रगति पर थे/जो कार्य लिए जाने थे, को ध्यान में रखते हुए पाईपों की खरीद के लिए एक समेकित मांग-पत्र भेजना चाहिए था, परंतु इन कार्यों के लिए डी.आई. पाईपों की मांग प्रमुख अभियंता को नहीं भेजी गई। इस प्रकार, निर्माण कार्य 10 से 21 महीने तक विलंबित हो गए और अंतिम सिरे तक पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने का इन स्कीमों का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

प्रमुख अभियंता ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि डी.आई. पाईपों के प्रापण का मामला सक्रिय विचाराधीन है।

2.1.8.8 जल स्रोतों की कायमता

ताजा पेयजल आपूर्तियों के लिए प्रयुक्त भूमिजल, अन्य प्रतियोगी प्रयोक्ताओं जैसे सिंचाई, उद्योग इत्यादि द्वारा आसानी से अधिक उपयोग किया जा सकता है। जब यह होता है तो यह खारे पानी, फ्लोराईड या अन्य भूमि संबंधी प्रदूषणों से दूषित हो सकता है, जो इसे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। भूमिजल की कायम रखने के विचार से, स्रोतों और प्रणालियों की कायमता के माध्यम से पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से के आधार पर, रा.ग्रा.पे.ज.का. निधियों का अधिकतम 10 प्रतिशत अलग से रखा जाना था। राज्यों द्वारा जिलावार पेयजल सुरक्षा योजना तैयार किया जाना अपेक्षित था। ऐसी मूलभूत संरचना की संकेतिक सूची में शामिल भूमि, तल और छत के पानी को जमा करने की प्रणाली/संरचना में बाढ़ को परिष्कृत करने की पद्धति, गल्ली प्लगज़, रिचार्ज पिट, रूपरेखा खाई/बांध, रोक बांध/नाला बांध, रिसने वाला तालाब/टंकी, इंजैक्शन कुआं/झरना इत्यादि शामिल थे। आगे, पानी स्रोतों के समग्र प्रबंधन के लिए अभिप्रेत कोई रिचार्जिंग संरचना और जिसने पेयजल स्रोतों को सीधे रिचार्ज नहीं किया, इस घटक के अंतर्गत योग्य नहीं थे। यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने इस घटक के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी और इस घटक के अंतर्गत नार्मल पेयजल स्कीमों के लिए प्रदान की गई निधियों का प्रयोग कर रहा था। आगे, पानी की कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियां लाभ प्राप्त करने के लिए अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। ब्यौरे की नीचे चर्चा की गई है:

(क) 16 ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के लिए जल निर्माण कार्यों के निर्माण, पाईपों के प्रापण, इनलेट चैनलों के लिए राइजिंग मेन, अपरिष्कृत जल व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने, पंपिंग स्टेशनों के निर्माण और अतिरिक्त एस.एस. टैंकों के लिए इक्कीस अनुमान 'कायमता घटक' के अंतर्गत ₹ 35.85 करोड़ के लिए संस्वीकृत किए गए थे। पानी स्रोतों के रिचार्ज पर इन निर्माण कार्यों का कोई सीधा संबंध नहीं था क्योंकि ये संरचनाएं जल आपूर्ति स्कीम का एक हिस्सा थे। ***परिशिष्ट 2.5*** के विवरणानुसार मार्च 2015 तक ₹ 17.47 करोड़ का व्यय किया गया था। परिशिष्ट के विश्लेषण ने दर्शाया कि 21 स्कीमों पर किया गया ₹ 17.47 करोड़ का व्यय इस घटक पर वैध प्रभार नहीं था और निधियों के विपथन के समान है।

इसी प्रकार, वन विभाग {मंडल वन अधिकारी (क्षेत्रीय); मोरनी, पिंजौर} ने इसके पहले से निर्मित पुराने बांधों के पुनरूद्धार के लिए 2011-13 के दौरान ₹ 2.90 करोड़ का व्यय किया जिसके लिए दायिता वन विभाग की थी। विभाग द्वारा पुरानी संरचनाओं के पुनरूद्धार की बजाय भूमि जल की कायमता के लिए निधियां प्रयुक्त करने के लिए सही योजना बनाई जानी चाहिए थी।

संबंधित कार्यकारी अभियंता ने बताया (जनवरी-मई 2015) कि यद्यपि निर्माण कार्य रा.ग्रा.पे.ज.का. 'कायमता घटक' के अंतर्गत निष्पादित किए गए थे, फिर भी ये निर्माण कार्य जलापूर्ति स्कीमों के हिस्से थे। तथ्य यह रहता है कि स्कीम का घटक कार्यान्वित नहीं किया गया और जल स्रोतों की कायमता के घटक का उद्देश्य अप्राप्त रह गया। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान राज्य के दीर्घावधि हित में जल स्रोतों की कायमता के संबंध में मार्गनिर्देशों की अनुपालना के लिए विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए।

(ख) 2010-11 के दौरान रा.ग्रा.पे.ज.का., के कायमता घटक के अंतर्गत, एक परियोजना ''वर्षा जल परिष्कृत करने तथा शिवालिक फुट हिल्ज में कृत्रिम रिचार्ज उपायों के माध्यम से भूमि जल का सुधार'' ₹ 61.81 करोड़ के लिए संस्वीकृत की गई। इस परियोजना के निष्पादन के लिए पी.एच.ई.डी. द्वारा वन विभाग को ₹ 59.61 करोड़ की निधियां जारी की गई थी (2011-13)। जल एकत्र करने वाले बांधों के निर्माण, पुराने बांधों का पुनरूद्धार, रिसने वाले टैंक्स, रोक बांधों, करेट वायर संरचनाओं, सीमेंट संरचनाओं इत्यादि पर ₹ 59.60 करोड़ की राशि व्यय की गई। निर्माण कार्य मार्च 2014 में पूरे किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि उनके रख-रखाव के लिए स्कीम के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं था। परिणामतः, परियोजना के अधीन निर्मित जल कायमता की संरचनाओं का रख-रखाव न तो विभाग और न ही वन विभाग द्वारा किया गया। आगे, यह अवलोकित किया गया कि संरचनाएं क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ी थी जैसा निम्न चित्रों में दर्शाया गया है:

	
रामनगर खोली (पिंजौर) में क्षतिग्रस्त पड़ी जल एकत्र करने वाली संरचना (23 जून 2015)	**झोलूवाल (पिंजौर) में क्षतिग्रस्त पड़ी जल एकत्र करने वाली संरचना (23 जून 2015)**

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) चूंकि निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा निष्पादित किए गए थे, रख-रखाव वन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था।

2.1.8.9 जलमनी स्कीम के अंतर्गत प्रस्थापित शुद्धिकरण प्रणालियां

भारत सरकार ने सितंबर 2008 में ग्रामीण स्कूलों में पेयजल के संभावित प्रदूषण को रोकने के लिए एक स्टैंड एलोन जल शुद्धिकरण प्रणाली (एस.पी.एस.) 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित जलमनी स्कीम प्रारंभ की। सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए

ध्यानपूर्वक समन्वय किया जाना अपेक्षित था, कि ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर वर्ग अर्थात् स्कूली बच्चों को उपभोग बिंदु पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का मूल उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक एस.पी.एस. की पूंजीगत लागत ₹ 40,000 से बढ़नी नहीं चाहिए। पांच वर्षों के लिए परिचालन और रख-रखाव (एक प्रारंभिक वर्ष जमा रख-रखाव प्रभारों के साथ चार वर्ष) भी पूंजीगत लागत में किया जाना था। इन प्लांट्स को प्रस्थापन और चालू करने के बाद निगरानी के लिए स्कूल के परिसर के मालिक होने के नाते शिक्षा विभाग को सौंपा जाना था। कार्यक्रम परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाना था और आबंटित निधियों का 50 प्रतिशत तक पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त किया जाना था। आगे, दूसरी किश्त भारत सरकार द्वारा पहली किश्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद निर्मुक्त की जानी थी।

प्रमुख अभियंता कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि ₹ 1.75 करोड़ की पहली किश्त भारत सरकार द्वारा 873 स्कूलों को शामिल करने के लिए 2008-09 में निर्मुक्त की गई थी। परंतु ₹ 1.75 करोड़ की दूसरी किश्त निर्मुक्त नहीं की गई क्योंकि 2008-09 में निर्मुक्त राशि के लिए विभाग द्वारा यू.सी. प्रस्तुत नहीं किया गया था, यद्यपि विभाग ने 788 एस.पी.एसज के प्रस्थापन पर 2014-15 तक ₹ 2.63 करोड़[7] की राशि खर्च कर दी थी। इस प्रकार, यू.सीज की अप्रस्तुति के कारण राज्य सरकार ₹ 1.75 करोड़ की दूसरी किश्त से वंचित रह गई।

ये सभी आर.ओज संबंधित स्कूलों के मुख्याध्यापकों/प्रिंसीपलों को सौंप दिए गए थे। इन एस.पी.एस. के ओ. एंड एम. की जिम्मेदारी पांच वर्षों के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं की थी। जैसा कि जून 2015 में प्रमुख अभियंता द्वारा सूचित किया गया, 788 एस.पी.एसज में से 614 क्रियाशील थे, 125 मरम्मत के अभाव में अक्रियाशील थे और 49 की स्थिति विभाग को ज्ञात नहीं थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि न तो कार्यकारी अभियंता न ही मुख्याध्यापक/प्रिंसीपल इस क्लॉज के बारे में अवगत थे कि रख-रखाव पांच वर्षों के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा मुफ्त किया जाना था। इस प्रकार, विभाग तथा स्कूल प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, स्कूलों में सुरक्षित पेयजल उपलबध करवाने का मूल प्रयोजन पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया। प्रधान सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को निदेश दिया कि मामले की जांच की जाए तथा शुद्धिकरण प्रणालियां क्रियाशील बनाई जाएं।

शहरी जल आपूर्ति

शहरी जल आपूर्ति स्कीमें, तेहरवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) आर्थिक प्रेरक पैकेज (आ.प्रे.पै.) तथा अन्य राज्य स्कीमों की निधियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। इसके अलावा, रा.रा.क्षे. नगरों में शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के लिए रा.रा.क्षे.आ.बो. से ऋण प्राप्त किए गए थे।

[7] 2010-11: ₹ 0.24 करोड़, 2011-12: ₹ 1.24 करोड़, 2012-13: ₹ 1.08 करोड़, 2013-14: ₹ 0.04 करोड़ और 2014-15: ₹ 0.03 करोड़।

2.1.8.10 शहरी जलापूर्ति स्कीमों की पूर्णता में धीमी प्रगति

राज्य में 2010 – 11 से 2014 – 15 वर्षों के दौरान, भिन्न – भिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन के लिए ली गई और पूर्ण की गई शहरी जल आपूर्ति स्कीमों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं	वर्ष	आरंभिक शेष	निष्पादन के लिए ली गई स्कीमें	निष्पादन अधीन स्कीमें	पूर्ण की गई स्कीमें	शेष
1.	2010-11	6	90	96	80	16
2.	2011-12	16	107	123	67	56
3.	2012-13	56	75	131	46	85
4.	2013-14	85	12	97	6	91
5.	2014-15	91	64	155	14	141
	कुल		**348**		**213**	

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

वर्ष 2010 – 15 के दौरान, 354 स्कीमों (2010 – 11 के प्रारंभ में चल रही छः स्कीमों सहित) में से केवल 213 स्कीमें पूर्ण की गई (60 प्रतिशत) मार्च 2015 को 141 स्कीमें अपूर्ण रह गई। प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अधीक्षक अभियंताओं की मासिक बैठकों में मानीटरिंग के माध्यम से इन निर्माण कार्यों को शीघ्रतम पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न कमियां दर्शाई:

2.1.8.11 रेलवे लाईन पर अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमें

आ.प्रे.पै. फेज – II के अंतर्गत अंबाला शहर की रेलवे लाईन के पार रहने वाली जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए दो भिन्न एजेंसियों को क्रमशः 8 और 6 मास की समयावधि के साथ ₹ 78.12 लाख और ₹ 1.61 करोड़ के लिए दो निर्माण कार्य आबंटित किए गए (18 अप्रैल 2013 और 15 मई 2013)।

पी.एच.ई. डिवीजन, अंबाला शहर के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि दोनों निर्माण कार्य क्रमशः ₹ 78.12 लाख और ₹ 1.61 करोड़ की लागत पर पूर्ण कर दिए गए थे (मार्च 2015)। परंतु ये जलापूर्ति स्कीमें, अपरिष्कृत जल आपूर्ति चैनल के साथ इन संरचनाओं के जुड़े न होने के कारण चालू नहीं की जा सकी क्योंकि अंबाला – कालका सैक्शन पर रेलवे मार्ग के नीचे से पाईप लाईनों के क्रासिंग की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। विभाग ने रेलवे लाईन क्रासिंग के लिए अनुमति के लिए अगस्त 2013 में आवेदन किया था। विभाग ने रेलवे को इस हेतु सितंबर 2014 में ₹ 50.04 लाख और मार्च 2015 में ₹ 43.58 लाख जमा करवाए थे। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में कार्य निष्पादन के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया जारी थी (सितंबर 2015)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने कार्य रेलवे की पूर्व अनुमति के बिना निष्पादित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। प्रमुख अभियंता ने सूचना दी (अक्तूबर 2015) कि कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

2.1.8.12 अपूर्ण शहरी जलापूर्ति स्कीम, बरवाला

बरवाला नगर की जनता को 155 ली.प्र.व्य.प्र. जलापूर्ति प्रदान करने के लिए ₹ 7.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता अधीन एक संवर्धन जल

आपूर्ति स्कीम संस्वीकृत की गई (11 मई 2004) विस्तृत अनुमान के अनुसार, एक अतिरिक्त चैनल, एक एस.एस. टैंक और फिल्टर बैड, हैड वर्क्स पर पाईप लाईन बिछाना इत्यादि का निर्माण किया जाना था। आगे, स्टोरेज एवं सेडीमेंटेशन (एस.एस.) टैंक इत्यादि के निर्माण के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) द्वारा हैड वर्क्स पर 9 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जानी थी। निर्माण कार्य नवंबर 2008 और अक्तूबर 2012 के बीच पी.एच.ई. मंडल-II हिसार द्वारा 15 भिन्न-भिन्न एजेंसियों को आबंटित किए गए और मार्च 2015 तक ₹ 6.34 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि एस.एस. टैंक को छोड़कर अनुमान के सभी घटक अर्थात् जल उपचार प्लांट (डब्ल्यू.टी.पी.), फिल्टर बैड और हैड वर्क्स पर पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किए गए थे क्योंकि 9 एकड़ भूमि एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि एस.एस. टैंक के निर्माण के लिए अभिप्रेत भूमि पर सरकार द्वारा एक पार्क विकसित किया गया था। इस प्रकार, एस.एस. टैंक के निर्माण के लिए भूमि का आधिपत्य लेने के लिए एच.एस.ए.एम.बी. के साथ विभाग के समन्वय का अभाव था। विभाग को निर्माण कार्यों का निष्पादन शुरू करने से पहले भूमि का आधिपत्य लेना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्कीम परित्यक्त पड़ी थी और स्कीम पर किया गया ₹ 6.34 करोड़ का समग्र व्यय निष्फल रहा।

कार्यकारी अभियंता ने सूचना दी (फरवरी 2015) कि जब कभी अपेक्षित भूमि ज.स्वा.अ.वि. को उपलब्ध करवाई जाएगी, स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए एस.एस. टैंक का निर्माण किया जाएगा। अक्तूबर 2015 तक अपेक्षित भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

2.1.8.13 धारूहेड़ा जल आपूर्ति स्कीम में निधियों का अवरोधन

धारूहेड़ा नगर के लिए एक मास्टर जलापूर्ति स्कीम ते.वि.आ. के अंतर्गत ₹ 55.14 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत की गई (दिसंबर 2011)। परियोजना 31 मार्च 2014 तक पूर्ण की जानी थी। भूमि अधिग्रहण कलक्टर (एल.ए.सी.) ने ₹ 8.64 करोड़ के लिए 23 एकड़ 7 कनाल 19 मरला की भूमि के अधिग्रहण के लिए अवार्ड घोषित किया (29 मई 2013), जिसके लिए निधियां एल.ए.सी. के पास जनवरी 2013 में जमा करवा दी गई थी। भूमि पर निर्मित घरों के भू-स्वामियों को भूमि की निर्मुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में मामले के लंबित होने के कारण भूमि का आधिपत्य नहीं लिया जा सका। न्यायिक मामला अगस्त 2013 में भू-स्वामियों के पक्ष में निर्णीत किया गया और यह आदेश दिया गया कि या तो उनकी भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त किया जाए या धारूहेड़ा के आवासीय सैक्टर में उन्हें वैकल्पिक प्लाट आबंटित किए जाएं। भूमि विवाद के मामले का समाधान नहीं हुआ था (मई 2015)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यकारी अभियंता ने ₹ 30.40 करोड़ के लिए कार्य 18 मास की कम्पलीशन समयावधि के साथ एक एजेंसी को कार्य आबंटित किया (14 अगस्त 2014) परंतु भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। ₹ 18.09[8] करोड़ का व्यय डी.आई. पाईपों की खरीद पर किया गया। आगे, यह अवलोकित किया कि ₹ 14.34 करोड़ मूल्य की पाईपें अगस्त 2014 में कार्य के आबंटन से बहुत पहले दिसंबर 2011 में खरीदी गई थी। आगे, भूमि विवाद के निपटारे के बिना कार्य का आबंटन

[8] दिसंबर 2011: ₹ 14.34 करोड़, अगस्त 2014: ₹ 0.97 करोड़ तथा दिसंबर 2014: 2.78 करोड़।

एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। भूमि विवाद के समाधान के बिना पाईपों की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 18.09 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को पाईपों की खरीद और भूमि विवाद के समाधान के बिना कार्य के आबंटन के लिए कारणों की जांच करने के लिए कहा।

अन्य बिंदु – ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमें

2.1.8.14 जल गुणवत्ता एवं परीक्षण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के मार्गनिर्देशों के अनुसार पेयजल गुणवत्ता को व्यवहारिक रूप से जितना हो सके सुरक्षित बनाने के सब प्रयास किए जाने चाहिए। जलापूर्तियों की प्रदूषण से बचाव सुरक्षा की पहली लाईन है। पर्याप्त सुरक्षा तथा प्रभावी उपचार प्रदान करने में विफलता आंत और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने के जोखिम का समुदाय को सामना करना पड़ेगा।

सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 42 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की थी। रा.ग्रा.पे.ज.का. के मार्गनिर्देशों के अनुसार, स्रोतों पर पानी के परीक्षण के लिए 3,500 जल सैंपल के लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो 2014 – 15 से 3,000 सैंपल तक संशोधित किए गए। भारत सरकार के दिनांक अप्रैल 2010 के निर्देशों के अनुसार, यह वांछनीय था कि पीने के पानी की पेयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्रोत का साल में कम से कम एक बार रसायनिक प्रदूषण के लिए और 2 – 4 बार जीवाणु प्रदूषण के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। इन मानदंडों के अनुसार, 2010 – 14 के दौरान न्यूनतम 14,000 नमूने, 2014 – 15 के दौरान 3,000 अर्थात् 2010 – 15 के दौरान 17,000 नमूनों का प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। 2,19,000 नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 1,08,493 नमूनों (50 प्रतिशत) की 2010 – 15 के दौरान जांच की गई। नमूनों के परीक्षण में कमी 50 प्रतिशत थी। आगे, जांच किए गए नमूनों में से 13,944 नमूनों (13 प्रतिशत) में पानी मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य पाया गया।

स्वास्थ्य विभाग समय – समय पर जीवाणु परीक्षा के लिए करनाल स्थित प्रयोगशाला में जल के नमूनों का परीक्षण करता है। 2010 से 2014 तक प्रयोगशाला ने 15,481 नमूनों का परीक्षण किया। इनमें से, 9,663 नमूने मानवीय उपभोग के लिए योग्य जबकि 5,818 नमूने (38 प्रतिशत) अयोग्य पाए गए।

जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी समय – समय पर जल के नमूनों का परीक्षण करते हैं। नमूना – जांच किए गए आठ[9] जिलों में, जांच किए गए 57,900 नमूनों में से 6,251 नमूने (11 प्रतिशत) मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य पाए गए। चार[10] जिलों में 2010 – 15 के दौरान प्रदूषित जल के उपभोग के कारण 1,210 मामले डायरिया, 176 मामले पीलिया के और आंत्र ज्वर के 53 मामले पाए गए।

लेखापरीक्षा को नमूनों के क्रमबद्ध चयन का प्रमाण नहीं मिला जो रोटेशन द्वारा रसायनिक और जीवाणु परीक्षा के लिए सभी स्रोतों की आवृत्ति करना सुनिश्चित कर सके। अभिलेखों से भी

[9] (1) अंबाला, (2) हिसार, (3) कैथल, (4) कुरूक्षेत्र, (5) पंचकुला, (6) नारनौल, (7) झज्जर तथा (8) सिरसा।

[10] (1) अंबाला, (2) कैथल, (3) कुरूक्षेत्र तथा (4) सिरसा।

विफल जल नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संस्थागत और उपयुक्त यंत्रावली का कोई प्रमाण उपलब्ध हुआ। इसप्रकार पेयजल प्रदान करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक की घटिया मानीटरिंग इंगित करता है।

अयोग्य नमूनों की उच्च प्रतिशतता ने घटिया गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति का संकेत दिया जिसके परिणामस्वरूप जल जनित रोगों का उच्च प्रभाव हुआ। इस प्रकार, मानवीय उपभोग के लिए जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता थी। आगे, जल नमूने एकत्र करने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता थी ताकि पूरे राज्य में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी स्रोतों से नमूने एकत्रित, परीक्षित तथा अनुवर्तित किए जा सके। विभाग ने जल नमूनों में कमी के लिए पानी के नमूने एकत्र करने के लिए स्टाफ तथा प्रयोगशालाओं में कैमिस्टों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले पर बात करते हुए प्रमुख अभियंता को नमूनों में कमी तथा परीक्षित किए नमूनों की विफलता के मामले की जांच तथा इस संबंध में प्रक्रियाओं में सुधार के निदेश दिए।

2.1.8.15 सामाजिक लेखापरीक्षा

रा.ग्रा.पे.ज.का. मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 19.3 के अनुसार, प्रत्येक छः मास बाद एक नियत तिथि को समुदाय पर आधारित संगठनों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक लेखापरीक्षा होनी चाहिए कि विभाग द्वारा लिए गए निर्माण कार्य विर्निदेशनों के अनुसार हैं और प्रयुक्त निधियां लिए गए कार्यों के अनुकूल हैं ताकि कायमता आधार पर उन्हें उपलब्ध पेयजल सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान का उपभोक्ताओं की संतुष्टि का अंदाजा लगाने के लिए संकेतकों तथा मानीटरिंग के लिए स्थानीय स्तर पर विकसित मापदंडों के अनुसार फीडबैक उपलब्ध करवाया जाए। अभिलेखों ने, तथापि, दर्शाया कि कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन तथा व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की गई थी।

प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2015) कि विभाग ने सूचना शिक्षा प्रसारण, मानवीय संसाधन विकास, जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी इत्यादि की गतिविधियां पूर्ण करने के लिए एक जल और स्वच्छता समर्थन संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) स्थापित किया था और जमीनी स्तर पर जल आपूर्ति प्रणाली में समुदाय को शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए 6,072 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (वी.डब्ल्यू.एस.सीज) भी गठित की थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डब्ल्यू.एस.एस.ओज और वी.डब्ल्यू.एस.सीज के कार्यचालन को सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य का भाग के रूप में इंगित करने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं पाया गया और कायमता आधार पर पेयजल सेवाओं के प्रावधानों का उपभोक्ता संतुष्टि का अनुमान लगाने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य अप्राप्त रहा। प्रधान सचिव ने, तथापि, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को सुधारक उपाय प्रारंभ करने हेतु निदेश दिए।

2.1.9 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों और विनियमों की अनुपालना बारे प्रबंधन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि वहां अनुमानों से अधिक व्यय, निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करने, कार्यों का अनियमित विभाजन, भूमि अधिग्रहण कलैक्टर्स को दिए गए अग्रिमों पर नियंत्रण का अभाव, बिजली उपभोग पर

जुर्माने के परिहार के लिए केपेसिटर्ज का अप्रस्थापन इत्यादि के मामले थे। स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी क्योंकि अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना और भूमि के अधिग्रहण बिना स्कीमें प्रारंभ करने, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति न लेने, स्थलों के गलत चयन इत्यादि के मामले थे। आगे, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और विफल जल नमूनों पर की गई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

2.1.9.1 सृजित परिसंपत्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना

लो.नि.वि. कोड के अनुच्छेद 27.2 में प्रावधान है कि परिसंपत्तियों की प्रभावी प्रबंध के लिए, विभाग के पास सृजित परिसंपत्तियों के पूर्ण और अद्यतित अभिलेख होने चाहिए। जलापूर्ति स्कीमों से संबंधित अभिलेख जैसे उपलब्ध भूमि अभिलेख के सही संदर्भ के साथ भूमि और अन्य संरचनाओं की, माल सूची, इनलेट स्टेशनों, चैम्बर्ज, एस.एस. टैंक्स इत्यादि अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

आगे, विभाग, जिले से संबंधित सभी अभिलेखों के अभिरक्षक के रूप में प्रत्येक जिले में एक कार्यालय को अधिसूचित करेगा। पुराने अभिलेखों की पुनर्व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे जिला–वार उपलब्ध हों। तथापि, यदि एक विशेष कार्य दो या अधिक जिलों से संबंध रखता है तो प्रमुख अभियंता अभिलेखों को एक विशेष जिले में रखने के आदेश दे सकते हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना–जांच किए गए मंडलों में ऐसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इसके अभाव में, सृजित/अधिगृहीत परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति और उनका रख–रखाव लेखापरीक्षा में मूल्यांकित नहीं किया जा सका।

2.1.9.2 आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति

कार्य की समग्र गुणवत्ता सुधारने तथा गलतियां/अनियमितताएं कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी। आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी का एक पद संस्वीकृत था परंतु अधिकारी लेखाओं और स्थापना से संबंधित कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। प्रधान सचिव ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता को इन मामलों पर सुधारक उपाय प्रारंभ करने हेतु निदेश दिए।

2.1.9.3 स्कीमों की मानीटरिंग

प्रमुख अभियंता, विभाग के अध्यक्ष के रूप में विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों और अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम की मासिक प्रगति कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की जाती थी परंतु ये रिपोर्ट प्रबंधक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं गई थी और इन रिपोर्टों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मुख्यालय पर और प्रधान सचिव और प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में अवधिक रूप से समय–समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा की जाती थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्कीमों की मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी क्योंकि कार्यों के निष्पादन, पानी की गुणवत्ता और परीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षा इत्यादि में कमियां थी जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1.10 निष्कर्ष

जल आपूर्ति स्कीमों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित एवं पेयजल उपलब्ध करवाना था जो आयोजना, वित्तीय प्रबंध, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियों और कमजोर मानीटरिंग यंत्रावली के कारण मुख्यत: अप्राप्त रही। एक पंचवर्षीय व्यापक जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी और केवल मांग के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। आगे, मार्च 2015 तक 455 बस्तियां अभी भी पानी की कमी वाली हैं। 73 नगरों जो भारत सरकार द्वारा परिभाषित नगर का मानदंड पूरा करते थे, में जलापूर्ति प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं थी। केवल 63 प्रतिशत ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें पूर्ण की गई थी और 37 प्रतिशत अपूर्ण छोड़ दी गई। अपरिष्कृत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना और भूमि का स्पष्ट स्वामित्व लिए बिना स्कीमों को लेने, वाटर वर्क्स के लिए अनुपयुक्त स्थल का चयन, ठेकेदारों के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने, पाईपों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप स्कीमें अपूर्ण रही और निष्फल/निरर्थक व्यर्थ व्यय हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधनों की कायमता का घटक सही ढंग से कार्यान्वियत नहीं किया गया था क्योंकि इस घटक के लिए अभिप्रेत निधियां साधारण जल आपूर्ति स्कीमों पर खर्च कर दी गई। आगे, जल कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तीन शहरी जलापूर्ति स्कीमें रेलवे से अनुमति, एस.एस. टैंक्स के लिए भूमि की अनुपलब्धता तथा भू-स्वामियों के साथ भूमि विवाद का निपटान न होने के कारण अपूर्ण पड़ी थी। चयनित जिलों में जल परीक्षण के लिए लक्ष्यित नमूनों में से केवल 50 प्रतिशत नमूने एकत्रित किए गए, जिसमें से 13 प्रतिशत नमूने अयोग्य पाए गए। जीवाणु परीक्षा के लिए परीक्षित पानी के नमूनों में से, 38 प्रतिशत नमूने मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य पाए गए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी पर्याप्त नहीं थी।

2.1.11 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(i) पानी की कमी वाली बस्तियों और नगरों को आवृत्त करने के लिए जल सुरक्षा के लिए प्रति वित्तीय वर्ष भली-भांति से परिभाषित उप लक्ष्यों ओर वरीयताओं के साथ व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार करना;

(ii) विशाल निधियां खर्च करने के बाद निर्माण कार्यों को अपूर्ण छोड़ने से बचने के लिए स्कीमों को लेने से पहले लो.नि.वि. कोड के प्रावधानों की अनुपालना करना;

(iii) निरंतर आधार पर स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए जल कायमता घटक के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रावधान करना;

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए जल के नमूनों के परीक्षण के लिए प्रणाली विकसित करना कि सभी जल स्रोतों का पानी इकट्ठा परीक्षण और पूरे राज्य में सुरक्षित और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपचारक उपायों के साथ अनुवर्तित किया जाता है; तथा

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा, अभिलेखों के अनुरक्षण और मानीटरिंग की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना।

प्राथमिक शिक्षा विभाग

2.2 स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम I से VIII तक की कक्षाओं के लिए बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा रिटैन्शन पर विशेष केन्द्र बिंदु के साथ लागू किया जा रहा है। स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं, स्कूल स्तर से डाटा प्राप्त करके या समुचित सर्वेक्षण किए बिना तैयार की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6)

₹ 9.83 करोड़ के अव्ययित शेष तथा ₹ 0.65 करोड़ की राशि के अर्जित ब्याज जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के बैंक खातों में पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.3)

स्कीम के अंतर्गत छात्रों का कवरेज 2010 – 15 के दौरान कम होकर 99 से 95 प्रतिशत हो गई थी। स्कूलों द्वारा खाद्यान्नों को लेने में भारी कमी 21 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.8.2)

इस्कॉन ने ₹ 1.23 करोड़ मूल्य के 5,761 क्विंटल खाद्यान्न जरूरत से ज्यादा उठा लिए थे तथा समग्र मात्रा को उपभुक्त के रूप में दर्शाते हुए उपयोग प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किए। यह विभाग द्वारा खाने की संख्या के सत्यापन के बिना खाद्यान्नों की निर्मुक्ति के कारण था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

विभाग ने बच्चों को दिए गए खाने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य नमूनों की जांच के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। आगे, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा जिलों में उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.5 तथा 2.2.8.6)

2006 – 10 के दौरान 11,483 किचन – कम – स्टोर के निर्माण की संस्वीकृति के विरूद्ध केवल 8,825 पूर्ण किए गए थे, 903 प्रगति पर थे तथा 1,755 का निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.10)

2.2.1 प्रस्तावना

बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा रिटैंन्शन पर विशेष जोर देते हुए 15 अगस्त 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्राथमिक शिक्षा को पुष्टिकर सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। सितंबर 2004 में, प्रोटीन की मात्रा 8-12 ग्राम तथा न्यूनतम 300 कैलोरी वाले पकाए हुए खाने के साथ-साथ आवश्यक सूक्ष्मपोषक तथा कृमिनाशक दवाईयों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कुक्ड मिड डे मील की पोषणीय मात्रा 2006 में 300 से 450 कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा 8-12 ग्राम से 12 ग्राम बढ़ा दी गई थी। स्कीम को 2007-08 से शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में तथा 2008-09 से पूरे देश में उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तृत कर दिया था। उच्च प्राथमिक के लिए पोषणीय मात्रा 700 कैलोरी पर तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्रति बालक प्रति स्कूल प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। 2007-08 में स्कीम को स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में पुन: नया नाम दिया गया था।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासकीय प्रमुख हैं। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग (प्रा.शि.वि.) स्कीम के प्रशासन, समन्वय, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग के समग्र प्रभारी हैं तथा एक अपर निदेशक (मिड डे मील्ज), एक महाप्रबंधक (मिड डे मील्ज) तथा निदेशालय स्तर पर एक प्रबंधक (मिड डे मील्ज) उनकी सहायता करते हैं। 21 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (जि.प्रा.शि.अ.) तथा 119 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (ब्लॉ.शि.अ.) जो स्कूल स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांचने के लिए की गई थी कि:

- सभी योग्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूली बच्चों को शामिल करने के लिए स्कीम सही ढंग से प्लान की गई थी;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था तथा दी गई निधियों को मितव्ययी तथा प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था;
- स्कीम का कार्यान्वयन प्रभावी था तथा बच्चों के पोषणीय स्तर को सुधारने तथा नामांकन, रिटैंन्शन, उपस्थिति को बढ़ाने का इसका उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था; तथा
- स्कीम के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से मॉनीटर किया जा रहा था।

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

21 जिलों में से छ:[11] जिले बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि प्रयोग करते हुए लेखापरीक्षा करने के लिए चयन किए गए थे। राज्य में 119 ब्लॉकों में से 24 ब्लॉकों (चयन किए गए प्रत्येक जिले के अंतर्गत चार ब्लॉक) का बिना परिवर्तन साधारण रेंडम नमूना (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि प्रयोग करते हुए चयन किया गया था। भौतिक सत्यापन के लिए 180 स्कूल, (राज्य में 14,714[12] स्कूलों में से) प्रत्येक जिले से 30 स्कूलों को भी एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर. विधि का प्रयोग करके चुना गया था। अपनाई गई पद्धति लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में अभिलेखों की नमूना – जांच करना था। 2010 – 15 की अवधि को आवृत करते हुए फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य की गई थी। निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग (प्रा.शि.वि.), छ: जि.प्रा.शि.अ., 24 ब्लॉ.शि.अ. तथा 180 स्कूलों के अभिलेखों की नमूना – जांच की गई थी।

स्कीम की गई पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में शामिल की गई थी तथा 2012 – 13 के दौरान लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गई थी। लोक लेखा समिति की सिफारिशें लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में रखी गई थी।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ फरवरी 2015 में एक एंट्री कांफ्रेंस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा के मानदण्ड एवं लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र पर चर्चा की गई थी। निदेशक व विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ सितंबर 2015 में हुई एग्जिट कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। विभाग के उत्तर तथा एग्जिट कांफ्रेंस में हुए विचार विमर्श प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- 2006 के स्कीम मार्गनिर्देश।
- जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्गनिर्देश (फरवरी 2010)।
- मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, निर्देश।

2.2.6 आयोजना

मिड डे मील्ज स्कीम ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर संकलित तथा स्कूल स्तर पर अनुरक्षित जानकारी पर आधारित राज्य द्वारा वार्षिक कार्य – योजना तथा बजट (वा.का.यो.ब.) की तैयारी

[11] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) करनाल, (ii) कुरूक्षेत्र, (v) रेवाड़ी तथा (vi) सिरसा।

[12] सरकारी स्कूल: 14,380, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल: 272, स्थानीय निकाय स्कूल: 5 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल: 57।

को महत्व देती है। यह योजना की बाटमअप अप्रोच पर विचार करती है क्योंकि यह जमीनी स्तर पर वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है तथा राज्य की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत करती है।

तथापि, यह अवलोकित किया गया कि योजनाएं, स्कूल स्तर से डाटा प्राप्त करके या सही सर्वेक्षण करने के बाद सही ढंग से तैयार नहीं की जा रही थी। आगे, यह देखा गया कि ब्लॉक तथा जिला स्तरों पर मूल डाटा नहीं रखा गया था क्योंकि अवधि 2010-14 के लिए सिरसा तथा 2010-13 अवधि के लिए कुरूक्षेत्र में जि.प्रा.शि.अ. द्वारा वार्षिक कार्य-योजना तथा बजट तैयार नहीं किए गए थे। चयनित जिलों तथा ब्लॉकों में ड्रापआऊट बच्चों तथा उपस्थिति से संबंधित डाटा न तो जिला स्तर पर और न ही ब्लॉक स्तर पर मेंनटेन किया गया था।

आगे, विद्यार्थियों की संख्या तथा स्कूलों की संख्या से संबंधित डाटा, जिसके आधार पर वार्षिक कार्य-योजना तथा बजट तैयार किए गए थे, संदेहास्पद था क्योंकि प्रा.शि.वि. द्वारा अनुरक्षित डाटा, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (ह.स्कू.शि.प.प.) एस.एस.ए. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी ***(परिशिष्ट 2.6)*** द्वारा तैयार यह डाटा के साथ मैच नहीं कर रहा था। जब तक, एक प्रमाणित डाटा सेट के लिए दो डाटा सेट का मिलान नहीं किया जाता है, यह अनिश्चित है कि संसाधनों (खाद्यान्नों तथा कुकिंग की लागत) का आबंटन उचित लाभग्राहियों को लाभ प्रदान करने के लिए सही ढंग से किया जा रहा था।

प्रत्येक स्कूल में किचन-कम-स्टोर (के.सी.एस.) के निर्माण का प्रावधान था। यह अवलोकित किया गया कि स्कूलों में के.सी.एस. के निर्माण की आवश्यकता से संबंधित सही सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ की निधियां 64 स्कूलों को जारी कर दी गई थी जिनके पास पहले से ही के.सी.एस. थे जैसाकि अनुच्छेद 2.2.8.13 में चर्चित है। यदि सही सर्वेक्षण किया गया होता तो निधियां केवल उन्हीं स्कूलों को आबंटित की जाती जहां पर आवश्यकता थी। 3,822 स्कूल ऐसे थे जहां के.सी.एस. के निर्माण के लिए निधियां अपेक्षित थी लेकिन निधियां जारी नहीं की गई थी जैसाकि अनुच्छेद 2.2.8.11 में चर्चित है।

निदेशक ने बताया (फरवरी/अक्तूबर 2015) कि आदर्शत: योजना बोटम-अप अप्रोच पर आधारित होनी चाहिए लेकिन क्योंकि 2013-14 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) द्वारा जिलावार डब्ल्यू.पी.बीज अपेक्षित नहीं थे, ये तैयार नहीं किए गए थे। जहां तक प्रा.शि.वि. तथा ह.स्कू.शि.प.प. के मध्य डाटा की भिन्नता संबंधित है यह सूचित किया गया कि अंतर प्रासंगिक डाटा प्राप्त करने की विभिन्न प्रणालियों के कारण था। विभाग भौतिक रूप से जिलों तथा ब्लॉकों से डाटा एकत्र करता है जबकि ह.स्कू.शि.प.प. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू.डी.आई.एस.ई.) द्वारा अनुरक्षित डाटा पर निर्भर करता है। यह भी बताया गया कि विभाग ने सभी मुख्य गतिविधियों का डाटा कैप्चर करने के लिए एम.आई.एस. पोर्टल विकसित किया था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि डाटा का मिलान तथा सुधार किया जाएगा।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 निधिकरण पैटर्न

घटकों जैसा कि खाद्यान्न, परिवहन, प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, किचन डिवाइसिस की 100 प्रतिशत लागत भारत सरकार (भा.स.) द्वारा वहन की गई थी तथा कुकिंग लागत,

कुकों-सह-हैल्परों को मानदेय, किचन-कम-स्टोरज के निर्माण जैसे घटकों के संबंध में लागत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में शेयर की गई थी।

2.2.7.2 बजट प्रावधान तथा व्यय

2010-15 के दौरान बजट अनुमान तथा मिड डे मील्ज पर किए गए व्यय के विवरण तालिका-1 में दिए हैं।

तालिका 1: 2010-15 के दौरान किए गए व्यय तथा बजट प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) के संबंध में बजट अनुमान (प्रतिशतता)
2010-11	194.46	194.46	209.65	(+) 15.19 (8)
2011-12	222.88	272.14	267.32	(+) 44.44 (20)
2012-13	309.65	305.97	231.98	(-) 77.67 (25)
2013-14	352.80	352.80	199.04	(-) 153.76 (44)
2014-15	249.50	315.10	228.29	(-) 21.21 (9)

स्रोतः बजट तथा विस्तृत विनियोजन लेखा के अनुसार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, निधियां राज्य द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जा सकी थी तथा 2012-15 के दौरान बचतें 9 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी जो इस तथ्य का सूचक है कि बजट सही सर्वेक्षण करके तथा फील्ड कार्यालयों से फीडबैक के बाद वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि बजट पिछले वर्षों के नामांकन के आधार पर तैयार किया गया था। यह भी बताया गया कि भविष्य में बजट के अधिकतम प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा नामांकन के उपयुक्त डाटा पर आधारित बजट तैयार किया जाएगा।

2.2.7.3 भारत सरकार को सूचित न किए गए जि.प्रा.शि.अ. के पास अव्ययित शेष

प्रा.शि.वि. भारत सरकार को स्कीम के सभी घटकों के अव्ययित शेषों की जानकारी देता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग, जि.प्रा.शि.अ. के पास पड़े शेषों को ध्यान में रखे बिना भारत सरकार को अव्ययित शेषों की सूचना दे रहा था। परिणामस्वरूप, जि.प्रा.शि.अ. के पास भारी निधियां जमा हो गई। अक्तूबर 2012 के आदेशानुसार नौ जि.प्रा.शि.अ. ने निदेशालय के पास सितंबर 2012 तथा दिसंबर 2012 के मध्य ₹ 21.49[13] करोड़ जमा करवाए। मई 2015 तक भी राशि अव्ययित रही। आगे, आठ जि.प्रा.शि.अ. के पास ₹ 9.83[14] करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी (मई 2015)।

[13] (i) अंबाला: ₹ 1.68 करोड़, (ii) फरीदाबाद: ₹ 7.43 करोड़, (iii) फतेहाबाद: ₹ 0.10 करोड़, (iv) गुड़गांव: ₹ 2.09 करोड़, (v) हिसार: ₹ 1.72 करोड़, (vi) झज्जर: ₹ 1.87 करोड़, (vii) कुरूक्षेत्र: ₹ 1.63 करोड़, (viii) मेवात: ₹ 3.64 करोड़ तथा (ix) सोनीपत: ₹ 1.33 करोड़।

[14] (i) भिवानी: ₹ 0.53 करोड़, (ii) हिसार: ₹ 1.74 करोड़, (iii) जींद: ₹ 5.24 करोड़ (iv) कैथल: ₹ 0.73 करोड़, (v) करनाल: ₹ 0.01 करोड़, (vi) नारनौल: ₹ 0.15 करोड़, (vii) रेवाड़ी: ₹ 0.36 करोड़ तथा (viii) सिरसा: ₹ 1.07 करोड़।

उपर्युक्त के अलावा, निदेशालय के आदेश अनुसार राज्य प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत ट्रेजरी में 13 जि.प्रा.शि.अ. द्वारा बचत बैंक खातों पर अर्जित ब्याज की ₹ 5.29[15] करोड़ की राशि जमा करवाई गई थी जबकि ₹ 0.65 करोड़ का ब्याज चार[16] जि.प्रा.शि.अ. के बैंक खातों में पड़ा था। स्कीम की निधियों पर अर्जित ब्याज को भारत सरकार द्वारा भावी निर्मुक्तियों के समायोजन के लिए अव्ययित शेषों के रूप में सूचित किया जाना अपेक्षित था लेकिन तात्कालिक मामलों में अर्जित ब्याज भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार की अभ्युक्ति पैरा 3.4.6.2 के अंतर्गत मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में भी की गई थी तथा लोक लेखा समिति ने अपनी 68वीं रिपोर्ट (2012-13) में अनुशंसा की कि विभाग को चूककर्त्ता अधिकारियों, जिन्होंने सारी निधियों को व्यय किया हुआ दिखाया था, के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए तथा समिति को सूचना के अंतर्गत जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि फील्ड कार्यालयों को जारी की गई निधिया मिड डे मील्ज ब्रांच में प्रशिक्षित लेखा स्टाफ की कमी के कारण उपयोग की गई मानी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निधियां संचित हो गई तथा इन अव्ययित शेषों पर जिले में ब्याज अर्जित हुआ। आगे, यह बताया गया (अक्तूबर 2015) कि विभाग इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए निदेशालय, ह.स्कू.शि.प.प. तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखा स्टाफ के अधिकतम प्रयोग के लिए उनके विलय की योजना बना रहा था। तथापि, तथ्य यह रहता है कि फील्ड कार्यालयों के पास अव्ययित निधियां भावी निर्मुक्तियों में समायोजन के लिए भारत सरकार को सूचित नहीं की गई थी परिणामत: बैंक खातों में भारी निधियों का संचय हुआ।

2.2.7.4 कैश बुक तथा लैजर का अनुरक्षण न करना

पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.2) जैसा कि हरियाणा पर लागू है, आहरण तथा संवितरण अधिकारी से इसे स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षा करता है सभी धन संबंधी लेन-देन, जैसे ही होते हैं, कैश बुक में दर्ज किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। आगे, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार, स्कीम के प्रत्येक घटक के संबंध में अलग लेखे अनुरक्षित किए जाने थे तथा केन्द्रीय सहायता की राशि स्कीम के घटकों के मध्य विपथित या पुनर्विनियोजित नहीं किए जाने थे।

निदेशालय ने मिड डे मील्ज की निधियों के लिए अप्रैल 2010 से जून 2010 तथा 15 अगस्त 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए कोई कैश बुक अनुरक्षित नहीं की थी। आगे, घटक-वार व्यय विवरणियां अनुरक्षित नहीं की गई थी। इसीलिए घटक-वार व्यय सत्यापित नहीं किए जा सके। कैश बुक 3 जून 2010 से 14 अगस्त 2012 तक की अवधि के लिए लिखी गई थी लेकिन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं की गई थी।

[15] (i) भिवानी: ₹ 14.48 लाख, (ii) फतेहाबाद: ₹ 98.12 लाख, (iii) गुड़गांव: ₹ 39.35 लाख (iv) हिसार: ₹ 90.98 लाख, (v) करनाल: ₹ 53.29 लाख, (vi) कुरूक्षेत्र: ₹ 6.87 लाख, (vii) नारनौल: ₹ 35.21 लाख (viii) पंचकूला: ₹ 32.78 लाख, (ix) रेवाड़ी: ₹ 9.94 लाख, (x) रोहतक: ₹ 10.73 लाख, (xi) सिरसा: ₹ 37.56 लाख, (xii) सोनीपत: ₹ 37.52 लाख तथा (xiii) यमुनानगर: ₹ 62.56 लाख।

[16] (i) अंबाला: ₹ 21.57 लाख, (ii) कुरूक्षेत्र: ₹ 16.09 लाख, (iii) रेवाड़ी: ₹ 25.59 लाख तथा (iv) सिरसा: ₹ 2.21 लाख।

आगे, 14 अगस्त 2012 को बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष ₹ 175.42 करोड़ था जबकि कैश बुक के अनुसार यह ₹ 105.90 करोड़ था। चूंकि कैश बुक तथा बैंक पास बुक में अंतर का मिलान नहीं किया गया था (अक्तूबर 2015) निधियों का दुरूपयोग, यदि कोई है, का पता लगाने के अवसर सुदूर थे जिससे निधियों के दुरूपयोग के लिए प्रणाली प्रेरक बन गई।

शिक्षा का अधिकार तथा मिड डे मील्ज स्कीम के लेन-देन एक सिंगल बैंक अकाउंट (एक्सिस बैंक) द्वारा किए गए थे, जिसमें से मिड डे मील्ज से संबंधित लेन-देन, अकाउंटिंग रिकार्डस यानि कैश बुक तथा लैजर की अनुपस्थिति में, पहचाने नहीं जा सके।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निदेशालय की शिक्षा का अधिकार शाखा ने वित्त विभाग के अनुमोदन से बैंक खाता शेयर किया था। आगे यह बताया गया कि मिड डे मील्ज शाखा में लेखाओं में योग्यता प्राप्त कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा सके तथा संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अकाउंटिंग रिकार्ड को पूर्ण कर लिया जाएगा तथा बैंक खातों के साथ मिलान किया जाएगा।

2.2.7.5 ब्याज की हानि

विभाग ने निविदाएं आमंत्रित किए बिना तथा यह मानते हुए कि बोर्ड एक अनुमोदित सोर्स था ₹ 775 प्रति मशीन की दर पर 9,268 तोलन मशीन के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड (बोर्ड) को आपूर्ति आदेश दिए (मार्च 2007) विभाग ने बोर्ड के पक्ष में ₹ 71.83 लाख का डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया (मार्च 2007)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि तोलन मशीनों की खरीद के लिए बोर्ड अनुमोदित सोर्स नहीं था। खरीद नहीं की जा सकी तथा यह मामला कि बोर्ड एक अनुमोदित स्रोत था, बोर्ड तथा विभाग के बीच पत्र व्यवहार के अंतर्गत रहा।

तद्नुसार, स्कीम मार्ग निर्देश संशोधित किए गए (जून 2010) जिनके अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) के अंतर्गत समान प्रावधान की उपलब्धता के कारण तोलन मशीनों पर व्यय करना वर्जित किया गया था। तद्नुसार, विभाग ने तोलन मशीनों की खरीद का विचार छोड़ दिया (सितंबर 2010)। आदेश देने के साढ़े छः वर्ष की अवधि के बाद ड्राफ्ट रद्द कर दिया गया तथा राशि मिड डे मील्ज बैंक अकाउंट में केवल सितंबर 2013 में जमा करवाई गई। इस प्रकार, बैंक ड्राफ्ट के रद्द करने में देरी के साथ-साथ मशीनों की खरीद में विभाग की विफलता के कारण ₹ 71.83 लाख साढ़े छः बर्षों के लिए सरकारी खातों के बाहर रहे। ₹ 32.68 लाख[17] के ब्याज की हानि के अतिरिक्त स्कीम का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया गया था क्योंकि बोर्ड एक अनुमोदित स्रोत नहीं था। ड्राफ्ट के रद्द करने में देरी की चूक के लिए जिम्मेदार अधीक्षक को चार्जशीट कर दिया गया था पदोन्नति छः महीनों के लिए रोक दी गई थी तथा भविष्य में सचेत रहने की भी चेतावनी दी थी।

इस प्रकार, तथ्य यह रहता है कि विभाग ने खरीद आदेश देने से पहले सुनिश्चित नहीं किया था कि बोर्ड एक अनुमोदित स्रोत था तथा ₹ 71.83 लाख की निधियां साढ़े छः वर्षों के लिए

[17] सरकारी उधारों में लागू 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित।

सरकारी खाते से बाहर रही। आगे, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि जब, संबंधित अधीक्षक को चेतावनी दी गई थी उसकी पदोन्नति रोकी नहीं गई थी। निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मामले की नए सिरे से जांच की जाएगी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.2.7.6 परिवहन लागत

स्कीम मार्गनिर्देशों के पैरा 2.3 (ii) (बी) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 75 प्रति क्विंटल की अधिकतम दर के अनुसार, स्कूलों के निकटतम भा.खा.नि. गोदाम से स्कूलों तक खाद्यान्नों के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

खाद्यान्न भा.खा.नि. गोदाम से स्कूलों तक, हरियाणा राज्य उपभोक्ता कॉपरेटिव संघ थोक स्टोर लिमिटेड (कॉनफेड) तथा हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा मार्केटिंग संघ (हैफेड) द्वारा पहुंचाए गए थे। क्यू.पी.आरज तथा निदेशालय द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2,00,459.70 मीट्रिक टन खाद्यान्न 2010-15 के दौरान कॉनफेड/हैफेड द्वारा भा.खा.नि. के गोदाम से उठाया गया था तथा कवर की गई दूरी पर आधारित वास्तविक परिवहन लागत की बजाय ₹ 75 प्रति क्विंटल की अधिकतम दर पर ₹ 15.03 करोड़ के भुगतान किए गए।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि भविष्य में दर तर्कसंगत की जाएगी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, निदेशक ने बताया की तय की गई दूरी के विभिन्न स्लैब बनाए जाएंगे यानि 0-10 किलोमीटर, 11-20 किलोमीटर, 21-30 किलोमीटर तथा इस तरह जारी दरें इन स्लैबों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

2.2.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.2.8.1 मिड डे मील्ज के अंतर्गत विद्यार्थियों का कवरेज

मिड डे मील्ज के अंतर्गत आवृत विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2: स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन तथा संख्या के विवरण

वर्ष	सरकारी स्कूल	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	ए.आई.ई. केंद्र	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	स्थानीय निकाय स्कूल	कुल नामांकन	आवृत्त बच्चों की संख्या	कवरेज की प्रतिशतता
2010-11	*	*	00	6,405	00	22,30,970	22,14,790	99
2011-12	21,17,808	55,868	7,909	4,920	916	21,87,421	21,43,672	98
2012-13	20,81,760	46,911	3,337	8,191	840	21,41,039	20,88,995	98
2013-14	19,78,128	47,133	17	7,629	871	20,33,778	19,72,536	97
2014-15	20,08,285	48,976	00	5,407	752	20,63,420	19,60,264	95

स्रोत: निदेशालय द्वारा प्रस्तुत डाटा।

* **अभिलेख में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं। तथापि विभाग ने 2010-11 के लिए कुल नामांकन के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों का कवरेज 2010-15 के दौरान घटकर 99 से 95 प्रतिशत हो गया था। सिरसा ने 2010-15 के दौरान जिले में स्कूलों के शत-प्रतिशत कवरेज दर्शाए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय (रा.क.प्रा.वि.) छत्रगढ़पति (सिरसा) 16 महीनों (अगस्त 2009 से

जनवरी 2011 तक) से स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, जि.प्रा.शि.अ., सिरसा ने तथ्यों की गलत सूचना दी।

निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अनुमानित जनसंख्या घट रही थी तथा प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही थी। रा.क.प्रा.वि., छत्रगढ़पति को 16 महीनों से शामिल न किए जाने के संबंध में, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह बताया गया कि इस स्कूल के शामिल न किए जाने के लिए एक जांच की जाएगी।

2.2.8.2 आबंटन की तुलना में खाद्यान्नों का कम उठाना

स्कीम मार्गनिर्देशों {पैरा 5.1 (9)} के अनुसार राज्य नोडल विभाग द्वारा, पिछले वर्षों के ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों तथा योग्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के नामांकन डाटा पर आधारित खाद्यान्नों के आबंटन के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष जनवरी/फरवरी तक मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था। स्कीम में, उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए प्रति स्कूल दिन प्रति बालक 150 ग्राम तथा प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए प्रति स्कूल, प्रति बालक 100 ग्राम भारत सरकार द्वारा, मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति का प्रावधान है। आवेदन के आधार पर, मंत्रालय ने राज्य को खाद्यान्न आबंटित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग ने 2,83,396.76 मीट्रिक टन ***(परिशिष्ट 2.7)*** के आबंटन के विरूद्ध 2,00,459.71 मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया। 2010 – 15 के दौरान, खाद्यान्नों के उठाने में भारी कमी 21 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। नमूना – जांच किए गए जिलों में आबंटन के विरूद्ध खाद्यान्नों को उठाने की प्रतिशतता 67 तथा 80 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। खाद्यान्नों का कम उठाना इंगित करता है कि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या या तो खाना नहीं ले रहे थे या मानकों के अनुसार पूरी मात्रा में खाना नहीं खा रहे थे। आगे, नमूना – जांच किए गए स्कूलों में खाद्यान्नों के उठाने या वितरण के अभिलेखों ने दर्शाया कि 180 चयनित स्कूलों में से कुरूक्षेत्र जिले के 24 स्कूलों में एक गैर – सरकारी संगठन द्वारा पका हुआ खाना दिया जा रहा था। शेष 156 स्कूलों में से 149[18] स्कूलों में मानकों के अनुसार खाद्यान्न प्रदान नहीं किए गए थे। इन 149 स्कूलों में से 88[19] स्कूलों में 25 प्रतिशत से ज्यादा खाद्यान्नों की कमी थी। नमूना – जांच किए गए स्कूलों में खाद्यान्न मांग तथा वास्तव में प्रदान किए गए के विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिए गए हैं, जिसमें कम प्रावधान 21 तथा 38 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित दिखाया गया। खाद्यान्न की कमी के कारण, 156[20] चयनित स्कूलों में से 95 स्कूलों में मिड डे मील्ज की कुकिंग विघटित थी। विघटन 10 स्कूलों में 200 दिनों से ज्यादा था जबकि एक स्कूल (यानि रा.क.मि.वि. बावल) में यह 392 दिनों की सीमा तक था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि खाद्यान्नों का आबंटन भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष के नामांकन के आधार पर किया गया था। नामांकन के विरूद्ध कम उपस्थिति के अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में घटते नामांकन ने उच्चतर आबंटन में योगदान दिया। मिड डे मील्ज के विघटन के संबंध में, यह बताया गया था कि एक जांच करवाई जाएगी। उत्तर केवल घटते नामांकन तथा

[18] भिवानी: 27, हिसार: 30, करनाल: 30, कुरूक्षेत्र: 6, रेवाड़ी: 27 तथा सिरसा: 29

[19] भिवानी: 16, हिसार: 22, करनाल: 20, कुरूक्षेत्र: 2, रेवाड़ी: 12 तथा सिरसा: 16

[20] 180 चयनित स्कूलों में से, 24 स्कूलों में इस्कान द्वारा मिड डे मील्ज दिया गया था।

कम उपस्थिति की समस्या को दर्शाता है। तथापि, विभाग द्वारा आबंटन के लिए आदेश देते समय ये घटक ध्यान में रखे जाने चाहिए थे।

2.2.8.3 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड डे मील्ज प्रदान न करना

2006 के मार्गनिर्देशों का पैरा 2.2.2, स्कीम के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी शामिल करने पर विचार करता है। नमूना-जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2010-15 के दौरान चार जिलों[21] में 56 स्कूलों में से 29 से 32 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मिड डे मील्ज नहीं दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 5,000 से अधिक विद्यार्थी स्कीम के लाभों से वंचित रहे। तथापि, हिसार तथा सिरसा जिलों के जि.प्रा.शि.अ. ने मिड डे मील्ज स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों के कवरेज की गलत रिर्पोटिंग सूचित करत हुए योग्य स्कूलों तथा विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत कवरेज दिखाया है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने बताया कि संबंधित जि.प्रा.शि.अ. ने व्यक्त किया था कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों तथा माता-पिता ने मिड डे मील्ज लेने से मना कर दिया था। निदेशक ने आगे उत्तर दिया (अक्तूबर 2015) कि तथापि, संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार मिड डे मील्ज प्रदान करने के निदेश दिए गए थे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

2.2.8.4 कुरूक्षेत्र जिले में इस्कॉन द्वारा कुक्ड खाने का प्रावधान

स्कीम मार्गनिर्देशों 2006 के अनुच्छेद 3.6 में प्रावधान है कि कुक्ड मिड डे मील की कुकिंग/आपूर्ति की जिम्मेदारी किसी स्वयंसेवी संगठन को सौंपी जाए। मिड डे मील्ज स्कूल परिसरों में स्थानीय तौर पर बनाया जाना था। संशोधित (सितंबर 2010) मार्गनिर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जहां स्पेस अवरोध हो, वहां स्कूलों के समूह के लिए एक केंद्रीयकृत रसोई बनाई जाए तथा पकाया हुआ गर्म खाना विभिन्न स्कूलों को एक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली द्वारा स्वास्थ्यकर स्थितियों के अंतर्गत भेजा जाए।

मिड डे मील्ज की आपूर्ति का कार्य फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ के ब्लॉकों में पायलट आधार पर इस्कॉन फूड रिलीफ फाऊंडेशन को सौंपा गया था (सितंबर 2006)। इसका कार्य क्षेत्र कुरूक्षेत्र जिले के थानेसर ब्लॉक तक बढ़ा दिया गया था तथा आगे कुरूक्षेत्र जिले के पेहोवा तथा लाडवा ब्लॉक तक बढ़ा दिया गया था (जुलाई 2010)। अनुबंध समय-समय पर, अंततम अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक, इस्कॉन के साथ किया गया था। जि.प्रा.शि.अ., कुरूक्षेत्र के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

- **खाद्यान्नों का अधिक उठाना तथा पूर्ण रूप से प्रयुक्त दिखाना**

खाद्यान्नों को जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (जि.प्रा.शि.अ.) के अनुरोध के आधार पर भा.खा.नि. के डीवीजनल कार्यालय द्वारा जारी निर्मुक्ति आदेशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) से इस्कॉन द्वारा उठाए जाते हैं। इस्कॉन द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए खाने की संख्या के संदर्भ के साथ खाद्यान्नों की खपत ध्यान में रखने के बाद जि.प्रा.शि.अ. द्वारा अनुरोध

[21] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) करनाल तथा (iv) सिरसा।

किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जि.प्रा.शि.अ., कुरूक्षेत्र ने उठाए गए खाद्यान्नों के उपभोग को विद्यार्थियों को दिए जाने वाले खाने के संख्या के संदर्भ के साथ कभी तुलना नहीं की थी। इस्कॉन ने, भा.खा.नि. से 2012-15 के दौरान 43,293 क्विंटल खाद्यान्न उठाए थे जबकि इसके द्वारा दिए गए खाने की संख्या के संदर्भ में केवल 37,532 क्विंटल खाद्यान्न अपेक्षित था।

जि.प्रा.शि.अ., कुरूक्षेत्र द्वारा खाने की संख्या के संदर्भ के साथ सत्यापित किए बिना भा.खा.नि. के डिविजनल कार्यालय से खाद्यान्नों की निर्मुक्ति आदेश के लिए अनुरोध करने के कारण, इस्कॉन ने आधिक्य में ₹ 1.23[22] करोड़ मूल्य के 5,761 क्विंटल खाद्यान्न उठाए थे तथा सारी मात्रा को उपभोग किया हुआ दिखाते हुए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, खाद्यान्नों की निर्मुक्ति पर विभाग के अपर्याप्त नियंत्रण के परिणामस्वरूप खाद्यान्न अधिक उठाए गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को खाद्यान्नों के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी करने से पहले खाद्यान्नों की वास्तविक खपत सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दे दिए जाएंगे।

- **स्कीम के कार्यान्वयन में अन्य कमियां**

(i) अनुबंध (मई 2010) के अनुसार, इस्कॉन द्वारा मध्यावकाश समय के दौरान, पका हुआ गर्म खाना आपूरित किया जाना था। इसने 22 फूड-वैनों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों सहित 567 स्कूल शामिल किए। एक फूड वैन ने रास्ते में 25 से ज्यादा स्कूल शामिल किए तथा कुछ वैनों ने अंतिम स्कूल को खाना देने से पहले 50 कि.मी. से ज्यादा की यात्रा की। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 8 स्कूलों में मध्यावकाश से 3 घंटे से भी ज्यादा समय पहले मिड डे मील्ज डिलीवर किया था जबकि 11 स्कूलों में यह मध्यावकाश से पहले 1.5 तथा 3 घंटे के बीच डिलीवर किया गया था। इन स्कूलों में खाने को गर्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, इन विद्यार्थियों को गर्म खाना नहीं परोसा गया था। आगे, केंद्रीयकृत रसोई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्ड खाना प्रदान करना स्कीम के मार्गनिर्देशों के विरूद्ध था क्योंकि संशोधित मार्गनिर्देशों 2010 के अनुसार खाने को स्कूल परिसर में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाना अपेक्षित था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि गैर-सरकारी संगठन को फूड वैनों की संख्या बढ़ाने तथा स्कूलों में ईंधन का प्रावधान करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।

(ii) लेखापरीक्षा ने चयनित स्कूलों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों से फीड-बैक लिया। 24 चयनित स्कूलों में से केवल 6 (25 प्रतिशत) स्कूलों में खाने की गुणवत्ता पर अध्यापकों का फीड बैंक सकारात्मक था। आठ उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का फीड बैक लिया गया था, यह केवल दो स्कूलों में सकारात्मक था तथा छः स्कूलों में 78 विद्यार्थियों द्वारा नकारात्मक टिपपणियां दी गई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि फीड बैक को ध्यान में रखा जाएगा तथा जहां भी आवश्यकता होगी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

[22] भा.खा.नि. की विभिन्न वर्षों की आर्थिक लागत के आधार पर मूल्य परिकलित किया गया है।

(iii) 328 विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या वाले पेहोवा (3) तथा थानेसर (1) में चार स्कूलों में जुलाई 2011 से मिड डे मील्ज लेने से मना कर दिया था। विभाग ने इन स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड डे मील्ज प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि मिड डे मील्ज जल्द ही परोसना शुरू कर दिया जाएगा।

(iv) एग्रीमेंट के अनुसार, भोजन की गुणवत्ता तथा पोषणीय गुण सुनिश्चित करने के लिए मनोनीत डाक्टरों/आहार-विशेषज्ञों/राज्य सरकार के अधिकारियों/स्कूल के प्रधान द्वारा कुक्ड भोजन के नमूने लिए जाने थे। केन्द्रीय रसोई कुरूक्षेत्र से परोसे गए भोजन की गुणवत्ता तथा पोषणीय गुण सुनिश्चित करने के लिए कोई नमूने नहीं लिए गए थे। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि प्रमाणित प्रयोगशालाओं से खाने के नमूनों की जांच के लिए संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को निदेश जारी कर दिए गए थे।

(v) मिड डे मील्ज प्रदान करने में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों का निष्पादन, मूल्यांकन की एक विश्वसनीय प्रणाली द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाना आवश्यक था तथा अनुबंध का नवीकरण उनके निष्पादन पर निर्भर होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निष्पादन मूल्यांकन की कोई विश्वसनीय प्रणाली मौजूद में नहीं थी तथा निष्पादन के मूल्यांकन के बिना अनुबंधों का नवीकरण कर दिया गया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि गैर-सरकारी संगठनों के साथ अनुबंध का विस्तृत अध्ययन करके उनके निष्पादन का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करने के बाद नवीकरण किया जाएगा।

2.2.8.5 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच

भारत सरकार ने जुलाई 2013 में सभी राज्य सरकारों को बच्चों को गुणवत्ता भोजन सुनिश्चित करने के लिए मिड डे मील्ज के नमूने जांच करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद/राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को लगाने के मार्गनिर्देश जारी किए।

यह अवलोकित किया गया कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को दिए गए खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाओं को लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इस प्रकार, भोजन की गुणवत्ता के इस महत्वपूर्ण पहलू पर सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए विचार नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि सभी जि.प्रा.शि.अ. को, विद्यार्थियों को गुणवत्ता भोजन सुनिश्चित करने के लिए कुक्ड मिड डे मील्ज के सैंपल जांच करने के लिए, सितंबर 2013 तथा जुलाई 2015 में निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जि.प्रा.शि.अ. द्वारा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2.2.8.6 उचित औसत गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना खाद्यान्नों की आपूर्ति

स्कीम मार्गनिर्देशों के पैरा 3.7 के अनुसार, भा.खा.नि. द्वारा उत्तम उपलब्ध गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी किए जाने थे, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) का हो। जिला कलैक्टर द्वारा एक टीम, जिसमें भा.खा.नि. प्रतिनिधि तथा जिलाधीश के एक प्रतिनिधि मनोनीत हो, द्वारा संयुक्त निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करना था कि भा.खा.नि. द्वारा कम से कम एफ.ए.क्यू. का खाद्यान्न जारी किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया (फरवरी 2010) कि उठाए गए खाद्यान्नों का नमूना (तीन प्रतियों में) राज्य सरकार (जि.प्रा.शि.अ. कार्यालय) तथा भा.खा.नि. के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त रूप से लिया जाएगा तथा तीन नमूना पर्ची (एक जि.प्रा.शि.अ. कार्यालय के लिए, दूसरी भा.खा.नि. जिला कार्यालय के लिए तथा तीसरी डिपो

के लिए) संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी तथा नमूना बंद कर दिए जाएंगे। इन नमूनों को भा.खा.नि. से प्राप्त खाद्यान्नों की गुणवत्ता के प्रमाण के रूप में तीन महीने के लिए रखे जाने थे तथा इस अवधि के दौरान शिकायत, यदि कोई है, की सत्यता को सुनिश्चित करने में प्रयोग किए जाने थे।

यह अवलोकित किया गया कि करनाल, भिवानी तथा रेवाड़ी जिलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था लेकिन हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा जिलों में भा.खा.नि. द्वारा एफ.ए.क्यू. की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पालन नहीं किया गया था।

निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2015) कि संबंधित जि.प्रा.शि.अ. को एफ.ए.क्यू. सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए दोबारा निदेश दे दिए गए थे।

2.2.8.7 स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अनुचित कार्यान्वयन

(i) स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करना था। स्थानीय क्षेत्र में पाई गई कॉमन कमियों पर निर्भर करते हुए विद्यार्थियों को छ:माही कृमिनाशक खुराक तथा विटामिन-ए स्पलीमेंट, साप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड स्पलीमेंट, जिंक तथा अन्य यथोचित स्पलीमेंट प्रदान किए जाने थे।

2010-15 की अवधि के लिए निदेशालय द्वारा भारत सरकार को भेजे गए क्यू.पी.आरज की संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग ने 2010-14 के दौरान विद्यार्थियों को निर्धारित माइक्रोन्यूटरन्ट तथा कृमिनाशक दवाईयां प्रदान नहीं की थी, सिवाय 2011-12 की अंतिम तिमाही में, जिसके दौरान 15,596 स्कूलों में से, 7,795 स्कूलों ने विद्यार्थियों को माइक्रोन्यूटरन्ट दिए थे। आगे, 14,714 स्कूलों में से, 2014-15 के दौरान विद्यार्थियों को माइक्रोन्यूटरन्ट प्रदान करने के लिए प्रति तिमाही औसतन 2,583 स्कूल आवृत किए गए थे।

(ii) स्कीम मार्गनिर्देशों का पैरा 5.1 (8) (i) स्कूलों में आवधिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान करता है। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि बच्चों में पोषणीय स्तर जांचने के लिए नियमित तौर पर चयनित स्कूलों में स्वास्थ्य चैकअप कैम्प आयोजित नहीं किए गए थे। विवरण तालिका 3 में दिए गए हैं।

तालिका 3: स्कूलों में आयोजित स्वास्थ्य जांच कैम्प के विवरण

जिले का नाम	कभी आयोजित नहीं किए गए	प्रतिवर्ष आयोजित किए गए	बीच-बीच में आयोजित किए गए
भिवानी	7	3	20
हिसार	9	6	15
करनाल	3	9	18
कुरूक्षेत्र	1	13	16
रेवाड़ी	3	14	13
सिरसा	1	7	22
कुल	**24**	**52**	**104**

स्रोत: संबंधित स्कूलों द्वारा प्रदत्त डाटा।

आगे, डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि स्वास्थ्य जांच कैम्पों में जांच किए गए 31,549 विद्यार्थियों में से 1,468 विद्यार्थियों में खून की कमी पाई गई थी या पर्याप्त पोषण की

कमी के कारण अन्य कमियों से पीड़ित थे तथा 382 विद्यार्थी कम वजन के थे। अनीमिक तथा अंडरवेट विद्यार्थियों के अनुवर्तन के लिए मार्गनिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने बताया कि गतिविधि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। उसने यह भी सूचित किया कि एक नई गतिविधि 'खाद्य सुदृढ़ीकरण' पायलट आधार पर अंबाला जिले में कार्यान्वित की जा रही है।

2.2.8.8 खाद्य, कुकिंग लागत आदि के संशोधित मानदण्डों का विलंबित कार्यान्वयन

भारत सरकार ने तेल तथा वसा की मात्रा कम करके तथा दालों, सब्जियों की मात्रा बढ़ाकर उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए खाद्य मानदण्ड संशोधित (दिसंबर 2009 से प्रभावी) किए। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक वर्गों के लिए कुकिंग लागत (श्रम तथा प्रशासनिक प्रभारों को निकालकर) भी बढ़ा दी गई थी। कुकिंग लागत के लिए अभिप्रेत राशि में से निकाली गई ₹ 0.40 प्रति भोजन की बजाए ₹ 1000 प्रति मास की दर पर कुक-कम-हैल्पर को मानदेय के भुगतान के लिए अलग प्रावधान भी किए गए थे। तद्नुसार, भारत सरकार ने ₹ 3.41 करोड़ राशि का केन्द्रीय हिस्सा कुकों के मानदेय के लिए निर्मुक्त किया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निदेशालय ने केवल मार्च 2010 में सभी जि.प्रा.शि.अ. को संशोधित मानदण्ड व्यक्त किए थे। चयनित स्कूलों में यह अवलोकित किया गया था कि विभिन्न स्कूलों ने अप्रैल 2010 तथा दिसंबर 2011 की अवधि के बीच संशोधित मानदण्डों लागू कर दिए थे। इस प्रकार, केन्द्रीय हिस्से की उपलब्धता के बावजूद संशोधित मानदण्ड मानीटरिंग की ढिलाई तथा कमी के कारण लागू नहीं किए गए थे। आगे, कुकों के मानदेय के लिए वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 3.41 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा भी आहरित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों को संशोधित मानदण्डों में प्रदान किए गए अतिरिक्त लाभों से वंचित रखा गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने बताया कि यह राज्य राजकोष को हानि थी तथा विलंब विभिन्न स्तरों पर संशोधित मानदण्डों के निर्देशों की विलंबित सूचना को आरोपित किया।

2.2.8.9 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण

शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभागों के मध्य हुई (फरवरी 2010) बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बने स्वयं सहायता समूह (स्व.स.स.) स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल किए जाने थे। स्कीम के संशोधित मानदण्डों को बताते हुए (मार्च 2010) निदेशालय ने बताया कि मिड डे मील्ज की तैयारी तथा वितरण का कार्य अप्रैल 2010 से स्वयं सहायता समूह (महिला) द्वारा ले लिया जाएगा। जिम्मेदारी सुपुर्द करने से पहले स्व.स.स. को खाद्य पोषण, स्वास्थ्य विज्ञान तथा अभिलेखों के रखरखाव के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि स्व.स.स. को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹ 93[23] लाख की एक राशि मई 2010 तथा मई 2013 के मध्य जिलों को निर्मुक्त की गई थी।

[23] मई 2010 ₹ 9 लाख, मार्च 2011: ₹ 42 लाख तथा मई 2013: ₹ 42 लाख।

इसमें से केवल ₹ 35.06 लाख मई 2015 तक व्यय की गई थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी तथा यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गए थे। प्रशिक्षित स्व.स.स. की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। आगे, निदेशालय के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं थी कि राज्य में कितने स्कूलों में मिड डे मील्ज की तैयारी तथा वितरण का कार्य स्व.स.स. को सुपुर्द कर दिया गया है। इस प्रकार, सही योजना की अनुपस्थिति में, स्व.स.स. को सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था।

निदेशक ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि प्रशिक्षण के लिए निर्मुक्त किए गए ₹ 93 लाख में से, ₹ 64.63 लाख प्रयोग किए जा चुके थे तथा विभाग ने स्व.स.स. के प्रशिक्षण के लिए जिलावार कार्यशालाओं का आयोजन शुरू कर दिया था।

रसोई – सह – स्टोरों का निर्माण

2.2.8.10 रसोई – सह – स्टोरों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति

स्कीम मार्गनिर्देशों {2006 का पैरा संख्या 2.3 (v)} के अनुसार, स्कूलों में कुकिंग की सुविधा के लिए प्रत्येक स्कूल में रसोई - सह - स्टोर (के.सी.एस.) निर्मित किए जाने थे ताकि ताजा एवं गर्म पका हुआ खाना बच्चों को परोसा जा सके।

के.सी.एस. का निर्माण कार्य संशोधित मिड डे मील्ज स्कीम 2006 के कार्यान्वयन से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (ह.स्कू.शि.प.प.) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। के.सी.एस. की वर्षवार संस्वीकृति की स्थिति, ह.स्कू.शि.प.प. को जारी की गई राशि तथा सितंबर 2015 तक निर्माण की स्थिति तालिका 4 में दिए अनुसार थी।

तालिका 4: रसोई – सह – स्टोर की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत के.सी.एस. की संख्या	ह.स्कू.शि.प.प. को जारी की गई राशि	ह.स्कू.शि.प.प. को राशि जारी करने की तिथि	के.सी.एस. की संख्या			खर्च की गई राशि	शेष राशि
				पूर्ण किए गए	प्रगति में	आरंभ नहीं किए गए		
2006-07	1,849	11.10	22 मार्च 2007	1,509	193	147	15.91	(-) 4.81
2006-07	1,336	8.02	31 मार्च 2007	497	00	839	8.62	(-) 0.60
2007-08	873	5.24	14 मार्च 2009	821	20	32	10.69	(-) 0.22
		5.23	22 मार्च 2010					
2009-10	4,383	72.08	07 अप्रैल 2010	3,958	286	139	55.48	16.60
2009-10	3,042	51.59	27 अगस्त 2012	2,040	404	598	41.99	9.60
कुल	**11,483**	**153.26**		**8,825**	**903**	**1,755**	**132.69**	**20.57**

स्रोतः प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, जारी किए गए कुल ₹ 153.25 करोड़ के विरूद्ध, केवल ₹ 132.69 करोड़ व्यय किए थे तथा ₹ 20.57 करोड़ अव्ययित पड़े थे तथा पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद कार्य अपूर्ण रहे। यह अवलोकित किया गया कि विभाग तथा निष्पादन एजेंसी (ह.स्कू.शि.प.प.) के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप के.सी.एस. के निर्माण में विलंब हुआ। आगे, ₹ 5.63 करोड़ का व्यय 2006 - 07 तथा 2007 - 08 में

संस्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु मानदण्डों के आधिक्य में हुआ था। मानदण्डों से अधिक व्यय करने के लिए ह.स्कू.शि.प.प. द्वारा विभाग से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

चयनित जिलों में 4,298 के.सी.एस. में से, केवल 2,836 पूर्ण किए गए थे, 506 प्रगति में थे तथा 956 के संबंध में निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

विभाग ने मानदण्डों से अधिक व्यय का कारण निर्माण में देरी के कारण लागत वृद्धि को बताया। इस प्रकार, नियत समय के अंदर कार्य पूरा करके अधिक व्यय को बचाया जा सकता था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि ह.स्कू.शि.प.प. को शेष रसोइयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए राजी कर लिया जाएगा।

2.2.8.11 के.सी.एस. के पूर्ण न होने के कारण केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं की गई

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों में संस्वीकृत के.सी.एस. के पूर्ण करने हेतु बल दिया (अगस्त 2012) तथा शेष स्कूलों के लिए के.सी.एस. के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया। राज्य में 15,305 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में से, 2006-10 के दौरान 11,483 स्कूलों के लिए के.सी.एस. संस्वीकृत किए गए थे तथा 3,822 स्कूलों में के.सी.एस. नहीं थे।

राज्य सरकार ने 3,822 के.सी.एस. के निर्माण के लिए ₹ 55.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा (सितंबर 2012)। भारत सरकार ने 2006-10 के दौरान संस्वीकृत के.सी.एस. के निर्माण की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भेजने के लिए राज्य सरकार को अनुमोदन (नवंबर 2012) किया। बाद में, कमजोर प्रगति के कारण, भारत सरकार ने राज्य सरकार को यदि विभाग के.सी.एस. के शुरू/पूरा करने की स्थिति में नहीं था, अप्रयुक्त निधियां रिफंड करने के लिए कहा। राज्य सरकार ने फरवरी, मई तथा जुलाई 2013 में भारत सरकार को दोबारा से प्रस्ताव भेजा लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, विभाग ने के.सी.एस. के धीमे निर्माण के कारण ₹ 55.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता छोड़ दी थी। इसके अतिरिक्त, 3,822 स्कूल के.सी.एस. की सुविधा से वंचित रहे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशालय द्वारा निष्पादन एजेंसी यानि ह.स्कू.शि.प.प. पर मानीटरिंग की कमी थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान निदेशक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुआ तथा आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।

2.2.8.12 केन्द्रीय हिस्से के आहरण में देरी तथा राज्य हिस्से का अग्रिम आहरण

₹ 38.70 करोड़ की एक राशि 3,042 के.सी.एस. के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत (मार्च 2010) की गई थी। यह राशि भारत सरकार से संस्वीकृति की विलंब से प्राप्ति के कारण आहरित नहीं की जा सकी। तथापि, भारत सरकार ने 2010-11 में राशि उपयोग करने के लिए विभाग को अनुमति दे दी (सितंबर 2010)। राज्य बजट में प्रावधान न करने के

कारण राशि फिर से आहरित नहीं की जा सकी। 2011-12 के दौरान राशि उपयोग करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने हेतु भारत सरकार को मई 2011 में अनुमोदन किया गया था। इसके बाद, राशि 31 मार्च 2012 को यानि भारत सरकार की स्वीकृति के दो वर्षों के अंतराल के बाद आहरित कर ली गई थी।

दूसरी ओर, विभाग ने मार्च 2011 में ₹ 12.90 करोड़ का राज्य हिस्सा आहरित किया तथा बचत बैंक खाते में राशि रखी। चूंकि मार्च 2012 में केन्द्रीय हिस्सा आहरित किया गया था, ₹ 38.70 करोड़ के केन्द्रीय हिस्से सहित राशि केवल अगस्त 2012 में ह.स्कू.शि.प.प. को अन्तरित की गई थी। राज्य हिस्सा आवश्यकता के अग्रिम में अहरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, राशि एक वर्ष तथा पांच महीनों के लिए बचत बैंक खाते में रही।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि राज्य बजट में प्रावधान न करने के कारण केन्द्रीय सहायता आहरित नहीं की जा सकी। आवश्यकता के अग्रिम में राज्य हिस्से के आहरण के संबंध में, यह बताया गया था कि बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियां आहरित की गई थी। तथ्य यह रहता है कि मार्च 2010 में भारत सरकार द्वारा निधियों की संस्वीकृति के बावजूद वर्ष 2010-11 के लिए भी राज्य बजट में प्रावधान करने में विभाग विफल रहा। आगे, बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण भी अनियमित था।

2.2.8.13 आवश्यकता का निर्धारण किए बिना निधियां जारी करना

के.सी.एस. के निर्माण के लिए भिवानी जिले में स्कूल प्रबंधन समितियों (एस.एस.सीज) को ह.स्कू.शि.प.प. द्वारा प्रत्येक ₹ 1.70 लाख के कुल 588 बैंक ड्राफ्टस भेजे (मार्च 2012) गए थे। इनमें से ₹ 1.09 करोड़ के 64 बैंक ड्राफ्ट संबंधित संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति (सं.स.मॉ.स.) द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे क्योंकि इन स्कूलों में पहले से ही के.सी.एस. विद्यमान थे। सितंबर 2012 में बैंक ड्राफ्ट ह.स्कू.शि.प.प. को वापस कर दिए गए तथा रद्द कर दिए गए थे तथा राशि बैंक खाते में जमा करवा दी गई थी (नवंबर 2012)। इस प्रकार, इन स्कूलों में के.सी.एस. की आवश्यकता के निर्धारण किए बिना ₹ 1.09 करोड़ की राशि सं.स.मॉ.स. को भेज दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, राशि आठ महीनों के लिए सरकारी खाते के बाहर रही।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक ने बताया कि उपयुक्त डाटा की अनुपलब्धता के कारण आयोजना की कमी थी।

2.2.9 नामांकन, रिटैंन्शन तथा उपस्थिति पर प्रभाव

स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में नामांकन, रिटैंन्शन तथा उपस्थिति को बढ़ाना था। विभाग ने राज्य में सभी योग्य बच्चों के नामांकन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे तथा ड्रापआउट रेट को भी शून्य तक लाना था। तथापि, एक अकादमिक वर्ष में स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अवधि 2010-15 के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन के विवरण अनुच्छेद 2.2.8.1 में संदर्भित तालिका 2 में दी गई है।

स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 2010-11 में 22.31 लाख तक घट गया था जबकि 2013-14 के संदर्भ में 2014-15 में नामांकन (20.63 लाख) में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के ड्रापआउट तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में वेसिक डाटा न तो निदेशालय स्तर पर और न ही जिला स्तर पर अनुरक्षित किया गया था। इस प्रकार, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर मिड डे मील्ज का प्रभाव लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका। आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए स्कूलों में उपस्थिति 2010-15 के दौरान 62 तथा 96 प्रतिशत[24] के मध्य श्रृंखलित थी।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन के पीछे पहला कारण तो खण्ड (कक्षा I से V) में जनसंख्या वृद्धि की दर हरियाणा में घट रही थी तथा दूसरा, सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल माता-पिता की प्राथमिकता था। आगे, यह बताया गया (अक्तूबर 2015) कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत परीक्षा न लेने तथा विद्यार्थियों को फेल न करने का कोई प्रावधान नहीं था परिणामत: सरकारी स्कूलों का कम नामांकन हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि राज्य के जनगणना डाटा के अनुसार 2001-11 के दौरान बाल जनसंख्या 1.35 प्रतिशत (2001 में 33.36 लाख तथा 2011 में 33.81 लाख) की दर पर बढ़ गई थी। इस प्रकार, विद्यार्थियों के नामांकन की वृद्धि का उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्त रहा।

2.2.10 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

2.2.10.1 निरीक्षणों का न किया जाना

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 6.2 के अनुसार, सभी बच्चे नियमित रूप से संतोषजनक गुणवत्ता का भोजन प्राप्त कर रहे थे, बच्चों की पोषणीय स्थिति को सुधारने, उपस्थिति में नियमितता, रिटैंन्शन तथा शिक्षा की पूर्णता पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए कि स्कीम को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाना अपेक्षित था।

राज्य सरकार द्वारा स्कूलों/ई.जी.एस.-ए.आई.एस. केन्द्रों में परोसे गए मिड डे मील्ज की जांच के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने अपेक्षित थे ताकि सभी स्कूल तथा ई.जी.एस./ए.आई.एस. केन्द्रों को वर्ष में कम से कम एक बार कवर किया जा सके।

वार्षिक कार्य योजना तथा बजट 2010-11 के अनुच्छेद 2.18 के अनुसार, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प.अ.बो.) ने राज्य/मुख्यालय अधिकारियों, जि.प्रा.शि.अ. तथा ब्लॉ.शि.अ. द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रम को मॉनीटर करने का निर्णय लिया तथा सूचित भी किया कि महीने में कम से कम 25 स्कूलों के निरीक्षण करने हेतु उन्हें निदेश भी दिए जा सकते हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प.अ.बो. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विभाग द्वारा स्कूलों/केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया गया था। 2010-11 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्ध किए गए निरीक्षणों की प्रतिशतता नगण्य (तीन प्रतिशत) थी जबकि यह 2011-15 ***(परिशिष्ट 2.9)*** के दौरान 9 तथा 16 के मध्य श्रृंखलित थी। फील्ड निरीक्षणों के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा

[24] भिवानी: 66 से 96 प्रतिशत, हिसार: 71 से 96 प्रतिशत, करनाल: 74 से 93 प्रतिशत, कुरूक्षेत्र: 74 से 95 प्रतिशत, रेवाड़ी: 67 से 95 प्रतिशत, सिरसा: 62 से 96 प्रतिशत।

कोई निरीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी इसकी अनुपस्थिति में, सं.स.मॉ.स. सुधारात्मक उपाय, यदि कोई है, नहीं कर सकी।

चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने यह भी दिखाया कि जि.प्रा.शि.अ. द्वारा निरीक्षण 19 तथा 52 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा तथा ब्लॉ.शि.अ. के संबंध में, यह 6 तथा 19 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 2.9)*** के मध्य श्रृंखलित रहा।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि स्कूलों का निरीक्षण नियमित आधार पर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.2.10.2 संचालन – सह – मॉनीटरिंग समिति बैठकें

स्कीम मार्गनिर्देश 2006 के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति (सं.स.मॉ.स.) स्थापित की जानी अपेक्षित थी। प्रावधानों के अनुसार, पहले सप्ताह में ब्लॉक स्तर पर मासिक बैठक, साधारण मॉनीटरिंग कार्यों के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर बैठकों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर मासिक बैठक तथा साधारण मॉनीटरिंग कार्यों के अतिरिक्त जिला स्तर पर बैठकों की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर अर्धवार्षिक बैठक की जानी अपेक्षित थी।

यह अवलोकित किया गया कि राज्य स्तर पर 10 बैठकों की अपेक्षा के विरूद्ध केवल पांच बैठकें आयोजित की गई थी, जिला स्तर पर 360 बैठकों की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 14 बैठकें आयोजित की गई थी तथा ब्लॉक स्तर पर 1,440 बैठकों की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 28 बैठकें आयोजित की गई थी।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि संबंधित अधिकारियों को एस.एम.सीज बनाने तथा नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के निर्देश पुनः जारी कर दिए गए थे।

2.2.11 निष्कर्ष

प्लानिंग में कमियां थी क्योंकि योजना स्कूलों से डाटा प्राप्त या सही सर्वेक्षण किए बिना, तैयार की गई थी। जि.प्रा.शि.अ. के अव्ययित शेष भारत सरकार को सूचित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त भारी निधियां सरकारी खाते के बाहर रही। खाद्यान्न कम उठाए गए थे (21 से 44 प्रतिशत)। उचित औसत गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना खाद्यान्नों की आपूर्ति, माइक्रोन्यूटरियन्ट तथा कृमिनाशक दवाइयों का प्रबंध न करना, खाद्य, कुकिंग लागत के संशोधित मानदण्डों के विलंबित कार्यान्वयन के मामले लेखापरीक्षा में अवलोकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कुरूक्षेत्र जिले में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आपूरित कुक्ड फूड की गुणवत्ता को मापने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। रसोई-कम-स्टोरों का निर्माण बहुत धीमा था क्योंकि कुल संस्वीकृत के.सी.एस. के केवल 77 प्रतिशत पूर्ण किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी थी। स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी 2010-11 में 22.31 लाख से 2013-14 में 20.34 लाख हो गई थी जबकि 2014-15 में नामांकन में (20.63 लाख) वृद्धि थी। संतोषजनक गुणवत्ता के खाने की नियमित उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का निरीक्षण नगण्य था। संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं की गई थी।

2.2.12 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- सही सर्वेक्षण करके तथा स्कूलों से, प्राथमिक तौर पर ऑनलाइन तथा वास्तविक समय आधार पर डाटा प्राप्त करने के बाद योजना बनाना;
- खाद्यान्न उठाने वाली एजेंसी को अधिकतम दर की बजाए वास्तविक आधार पर परिवहन लागत के भुगतान करने की सही प्रणाली विकसित करना।
- सभी को एक समान दीर्घ सिद्धांत लागू करने की बजाए मूल वास्तविकताओं की प्रसंसा द्वारा भोजन प्रावधान प्रणाली की समीक्षा करना;
- समयबद्ध तरीके से रसोई-सह-स्टोर के निर्माण को पूरा करना; तथा
- गैर-सरकारी संगठन द्वारा आवृत्त स्कूलों सहित विद्यार्थियों को गुणवत्ता भोजन की बाधारहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रणाली द्वारा निरीक्षणों की मशीनरी को मजबूत करना।

उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

2.3 प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा

उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य में स्वयं वित्त पोषण स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में दिशानिर्देश तैयार किए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य {अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (एम.ई.आर.)} विभाग ने नर्सिंग स्कूल तथा कालेज खोलने के लिए जुलाई 2007 में दिशानिर्देश जारी किए। राज्य ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों (पी.यूज) की स्थापना के लिए नवंबर 2006 में ''हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम-2006'' भी बनाया। प्राइवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की:

प्राइवेट कालेजों को राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना मान्यता प्रदान की जा रही थी, विश्वविद्यालय अपर्याप्त मूलभत संरचना, फैकल्टी इत्यादि वाले कालेजों को संबद्धता प्रदान कर रहे थे। विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 2.3.6.1 से 2.3.6.3)

उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राप्तियों के अभिलेखों का समुचित रख-रखाव नहीं किया। 2008-14 की अवधि हेतु प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रभारण हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1)

चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की बजाए ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना तीन प्राइवेट कालेजों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.7.2)

समुचित नियंत्रण करने में उच्चतर शिक्षा विभाग की विफलता के कारण एक बी.एड. कालेज ने जाली दस्तावेजों के आधार पर तथा तथ्यों को छिपाकर मान्यता प्राप्त कर ली।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 (क))

वार्षिक रिटर्न यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा के छात्रों को आरक्षण एवं फीस रियायत प्रदान की जा रही थी, उच्चतर शिक्षा विभाग को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

प्राइवेट कालेज अपर्याप्त मूलभूत संरचना से संचालित किए जा रहे थे। चार प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने पात्रता मानदंड पूर्ण किए बिना 51 फैकल्टी सदस्यों को नियुक्त किया।

(अनुच्छेद 2.3.8.6 तथा 2.3.8.7)

2.3.1 प्रस्तावना

व्यक्ति, समाज या राज्य के चौतरफा विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। राज्य, शिक्षा में सक्रिय भूमिका अदा करता है तथा हरियाणा सरकार का विचार है कि प्राइवेट सैक्टर, राज्य में शिक्षा वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तद्नुसार, उच्चतर शिक्षा (एच.ई.) विभाग ने राज्य में प्राइवेट कालेजों (पी.सीज) की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में दिशानिर्देश तैयार किए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य {अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (एम.ई.आर.)} विभाग ने नर्सिंग स्कूल तथा कालेज खोलने के लिए जुलाई 2007 में दिशानिर्देश जारी किए। राज्य ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों (पी.यूज) की स्थापना के लिए नवंबर 2006 में ''हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम-2006'' भी बनाया। मार्च 2015 तक राज्य में कुल 1,213 पी.सीज तथा 18 पी.यूज खोले गए थे (***परिशिष्ट 2.10***)। पी.सीज 10 राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे।

पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी जो कि एक पी.सी. की स्थापना का इरादा करती है तथा अपेक्षित भूमि, वित्तीय क्षमता तथा फील्ड में सुविज्ञता रखने, लौटाई न जाने वाली निर्धारित प्रोसेसिंग फीस सहित भूमि धारण का प्रमाण (अपनी/लीज होल्ड/गिफ्ट डीड), अपने भवन/मूलभूत संरचना प्लान, विकास प्लान, अन्य सुविधाओं/सुख साधनों को दर्शाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के साथ संबंधित सरकारी विभाग या केन्द्रीय विनिमायक निकाय को आवेदन दे सकती है। विभाग/केन्द्रीय एजेंसी में प्राथमिक जांच, विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा तथा उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत संरचना के भौतिक सत्यापन के बाद प्रायोजक निकाय द्वारा औपचारिक उद्देश्य-पत्र (एल.ओ.आई.)/अनुमोदन-पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किया जाता है। एल.ओ.आई./एल.ओ.ए. के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना तथा सरकारी विभागों के साथ वचनबद्ध समुचित स्थाई निधि/एफ.डी.आरज/बैंक गारंटी के सृजन के बाद पी.सी. की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत मान्यता/एन.ओ.सी. जारी की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम, 1956 तथा यू.जी.सी. (प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना एवं अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रायोजक निकाय द्वारा एक पी.यू. की स्थापना की जा सकती है। प्रायोजक निकाय, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के साथ उच्चतर शिक्षा (एच.ई.) विभाग को आवेदन दे सकता है। सभी औपचारिकताओं की पूर्णता तथा निर्धारित स्थाई निधि के सृजन के बाद सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से पी.यू. स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पी.यू. की स्थापना होने के बाद इसे उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए यू.जी.सी. को आवेदन देना अपेक्षित है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

उच्चतर शिक्षा विभाग, पी.सी. तथा पी.यू. की स्थापना के मामले देखता है। एम.ई.आर. विभाग, प्राइवेट नर्सिंग स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना के मामले देखता है तथा चिकित्सा, आयुर्वेद, डेंटल, होम्योपैथी कालेजों इत्यादि की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रमाण-पत्र (ई.सीज)/पूर्व सहमति भी जारी करता है। तकनीकी शिक्षा विभाग (टी.ई.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार प्राइवेट तकनीकी कालेजों पर नियंत्रण रखता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), बी. एड कालेजों को खोलने की मान्यता देती है, पी.सीज को संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त करने अपेक्षित है। सरकारी स्तर पर संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव प्रशासनिक मुखिया हैं। विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर प्रधान कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी है तथा संबंधित विश्वविद्यालयों के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

- उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मानदण्डों एवं मानकों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधान पर्याप्त थे;
- पी.सीज तथा पी.यू. से प्राप्तियां वर्तमान आदेशों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध की जा रही थी;
- अधिनियमों, नियमों, विनियमों इत्यादि के प्रावधानों की अनुपालना की गई थी तथा भूमि/भवन/मूलभूत संरचना और फैकल्टी तथा सहायक स्टाफ की अर्हता एवं उपलब्धता विविध प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार थी; तथा मानीटरिंग हेतु प्रभावी यंत्रावली मौजूद थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

पी.सीज/पी.यूज की स्थापना से संबंधित एच.ई., एम.ई.आर. तथा टी.ई. विभागों के निदेशालयों के 2010-15 की अवधि के अभिलेखों का विद्यमान आदेशों के अनुसार उनमें प्राप्तियों की गणना की दिसंबर 2014-जून 2015 के दौरान नमूना-जांच की गई। इस अवधि से पहले के मामले, जो निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा अनियमितताएं, जो पूर्ववर्ती अवधि से निरंतर हैं, भी प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं। 1,213 प्राइवेट कालेजों में से 77 के संबद्धता, फीस संरचना तथा कालेजों की समुचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अन्य नियंत्रणों से संबंधित अभिलेखों ***(परिशिष्ट 2.11)*** की भी पांच[25] संबद्ध सरकारी विश्वविद्यालयों में नमूना-जांच की गई थी। 18 पी.यू. में से पांच के अभिलेखों की एच.ई. विभाग तथा यू.जी.सी. के कार्यालयों में जांच की गई थी।

[25] (i) चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सी.डी.एल.यू.), सिरसा; (ii) गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जी.जे.यू.), हिसार; (iii) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (के.यू.के.); (iv) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.), रोहतक तथा (v) पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पं. बी.डी. शर्मा यू.एच.एस.), रोहतक।

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.)/प्रधान सचिव (पी.एस.), हरियाणा सरकार, एच.ई. तथा टी.ई. विभाग और एम.ई.आर. विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जनवरी 2015 में एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के मापदंड तथा लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के परिणामों पर एच.ई. तथा टी.ई. विभागों के ए.सी.एस. और एम.ई.आर. विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिसंबर 2015 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। विभागों के उत्तरों तथा एग्जिट कांफ्रेंस में हुए विचार-विमर्श को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- प्राइवेट कालेजों की स्थापना हेतु उच्चतर शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश;
- विनिमायक निकायों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इत्यादि के अधिनियम, नियम, विनियम, मानदंड तथा मानक;
- हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006; तथा
- संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए अध्यादेश, निबंधन एवं शर्तें।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 अधिनियमों, नियमों, विनियमों इत्यादि के प्रावधानों की पर्याप्ति

2.3.6.1 संस्थानों के खोलने पर नियंत्रण की कमी

तकनीकी संस्थान तथा बी.एड कालेज खोलने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदनकर्त्ताओं से ए.आई.सी.टी.ई. या एन.सी.टी.ई. को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रति सहित निर्धारित प्रोसेसिंग फीस के साथ ए.आई.सी.टी.ई.[26] या एन.सी.टी.ई.[27] के क्षेत्रीय कार्यालयों को सीधे आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों से अपने विचार, आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से ए.आई.सी.टी.ई. को 15 दिनों तथा एन.सी.टी.ई. को 75 दिनों की अवधि के भीतर अग्रेषित करने अपेक्षित थे। राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों से विचारों के अभाव में परिषद अनुमोदन प्रक्रिया की पूर्णता हेतु आगे बढ़ेगी। जब एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो एन.सी.टी.ई. के विनियमों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबंध का प्रावधान है। यह देखा गया था कि किसी भी मामले में यथा अपेक्षित वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा विचार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आवेदनों पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा टिप्पणियों के अप्रस्तुतिकरण तथा आवेदनों/निरीक्षण रिपोर्टों की अनुचित जांच सहित

[26] ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक के अध्याय-1 की धारा 3.1

[27] एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2007 के संशोधन बारे दिनांक 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना का अनुच्छेद 5

ए.आई.सी.टी.ई. तथा एन.सी.टी.ई. के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अपर्याप्त मूलभूत संरचना तथा अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं के साथ पी.सीज खोले गए जैसा कि अनुच्छेद 2.3.8.1 से 2.3.8.2 में चर्चा की गई है। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों में पर्याप्त मूलभूत संरचना तथा अन्य मौलिक सुविधाएं अनिवार्य हैं। इसके अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि एन.सी.टी.ई. ने विचार प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रस्ताव/आवेदन अग्रेषित नहीं किए तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालयों की सहमति से एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.ओ.सी. जारी किए जा रहे थे। आगे यह बताया गया था कि और बी.एड कालेज न खोलने के लिए एन.सी.टी.ई. को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय मंत्री, मानक संशाधन विकास मंत्रालय (एम.ओ.एच.आर.डी.), भारत सरकार के साथ राज्य स्तर पर तीन बार (2009, 2011 तथा 2014 – 15) मामला उठाया गया था। आगे, ए.सी.एस., तकनीकी शिक्षा ने बताया कि जिन जिलों में संतृप्ति हो चुकी थी उनमें और तकनीकी कालेज न खोलने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. के साथ सरकार ने मामला उठाया था (2011)। राज्य सरकार द्वारा विचार प्रस्तुत करने के लिए समय भी कम पाया गया था जो केवल 15 दिन ही था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि मामला ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. के साथ उठाया जाना चाहिए था यदि विभागों को लगा कि पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था या विचार मांगने के लिए विभाग में आवेदन प्राप्त नहीं किए जा रहे थे। विभाग को प्रारंभ से अपेक्षित नियंत्रण करने के लिए अधिक पूर्व – सक्रिय होने की आवश्यकता है।

2.3.6.2 एफिलिएशन

विनियामक निकायों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/एन.ओ.सी. जारी करने के पश्चात् पी.सी. द्वारा विश्वविद्यालय के साथ स्वयं को एफिलिएट[28] करवाया जाना अपेक्षित है। विश्वविद्यालयों ने एफिलिएशन के निबंधनों एवं शर्तों से समाविष्ट अध्यादेश जारी किए तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध मानव संसाधनों एवं मूलभूत संरचना के विवरणों वाला आवेदन/निरीक्षण प्रोफार्मा तैयार किया।

सी.डी.एल.यू., जी.जे.यू. तथा के.यू.के. ने प्रत्येक 250 अंकों के दो भागों (भाग – क: मानव संसाधन तथा भाग – ख: भौतिक मूलभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं/सुख – साधन) में बांटे गए 500 अंक आबंटित किए। एक कालेज के लिए कमियों की अनुपालना/दूर करने की शर्त पर एफिलिएशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भाग में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था।

एम.डी.यू. द्वारा तीन भागों (क) शिक्षण तथा गैर – शिक्षण स्टाफ (50 अंक); (ख) मूलभत संरचना तथा सुख – साधन (25 अंक) तथा (ग) पुस्तकालय तथा प्रयोगशला (25 अंक) में बांटा गया 100 अंकों का प्रपत्र बनाया गया। यह अनुबद्ध था कि प्रत्येक श्रेणी में 70 प्रतिशत तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाल कालेजों को 'ए', 50 से 70 प्रतिशत – 'बी' तथा

[28] के.यू.के: कैलेण्डर खण्ड – I के अध्यादेश के अध्याय – 1 की धारा 2, जी.जे.यू. ने के.यू.के. के उन्हीं अध्यादेशों का अनुसरण किया, एम.डी.यू.: अध्यादेश – 37 की अनुसूची, पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों एवं ऐसे विशेषाधिकारों को निकालने के लिए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के एफिलिएशन की शर्तों के बारे में अध्यादेश की धारा – 2 तथा सी.डी.एल.यू.: कैलेण्डर 2011 खण्ड – I के अध्यादेश (परीक्षा अध्यादेशों से अन्य) का अध्याय – XVII

50 प्रतिशत से कम-'सी' ग्रेड किया जाएगा। 'बी' ग्रेड वाले कालेज इस शर्त पर संबद्ध किए गए थे कि इंगित की गई कमियां अगले अकादमिक सत्र से पहले दूर कर दी जाएंगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 'बी' श्रोणी कालेजों को एफिलिएशन प्रदान करने से टीचिंग फैकल्टी, क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं तथा लाईब्रेरी, जो नमूना-जांच किए गए 77 कालेजों में से 12 कालेज ***(परिशिष्ट 2.12)*** में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य थे, के संबंध में अपर्याप्त सुविधाओं वाले कालेजों का सृजन हुआ। आगे, कमियां कई वर्षों तक निरंतर जारी रही तथा पूरी तरह दूर नहीं की गई हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा एफिलिएशन देने के बाद कमियों की अनुपालना को मानीटर करने के लिए कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की गई थी। विश्वविद्यालयों के पास यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड नहीं था कि कमियों को दूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों द्वारा कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप लंबे समय से अपर्याप्त सुविधाओं के साथ ऐसे संस्थानों के चलने से प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि विभाग, मामले पर चर्चा के लिए राज्य में सभी संबद्ध विश्वविद्यालयों की सभा बुलाएगा तथा सभी जरूरी अपेक्षाओं को शामिल करते हुए एक मानक चैकलिस्ट बनाई जाएगी और पी.सीज के एफिलिएशन के लिए मानक विशिष्टिताओं को संबद्ध विश्वविद्यालयों के बीच परिचालित किया जाएगा।

2.3.6.3 निरीक्षण

संबंधन के लिए आवेदक से आवेदन की प्राप्ति पर दो या अधिक सक्षम व्यक्तियों वाली निरीक्षण समिति[29] संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ई.सी.)/वाइस चांसलर (वी.सी.) द्वारा गठित की जा रही है। निरीक्षण के आधार पर निरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करती है तथा उसके बाद रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि संस्थानों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए समिति में कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं था। आगे यह अवलोकित किया गया था कि निरीक्षण समिति के सदस्यों की विशिष्ट अर्हता जैसे भवन विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ तथा विशिष्ट क्षेत्र में अकादमिक विशेषज्ञ, जिसके लिए संस्थान खोला जाना है, अध्यादेशों में निर्धारित नहीं किए गए हैं। आगे, निरीक्षणों की विडियोग्राफी करने के लिए अध्यादेशों में कोई प्रावधान नहीं था और न ही उनके अभिलेखों को प्रामाणिक बनाने के लिए यह की जा रही थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार यह जांच करना भी अपेक्षित था कि क्या भवन संबंधित सक्षम निकाय/नगरपालिका निकाय/हुडा के उप-नियमों के अनुरूप है तथा सक्षम प्राधिकारियों से पर्यावरण क्लीयरेंस एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए थे। लेखापरीक्षा ने संबद्ध विश्वविद्यालयों में नमूना-जांच किए गए पी.सीज के अभिलेखों की जांच के दौरान अवलोकित किया कि सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए न तो कोई प्रणाली स्थापित की

[29] के.यू.के: कैलेण्डर खण्ड-I के अध्यादेश-XVI के अध्याय-1 की धारा 3, जी.जे.यू. ने के.यू.के. के उन्हीं अध्यादेशों का अनुसरण किया, एम.डी.यू.: अध्यादेश-37 की अनुसूची तथा पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों एवं ऐसे विशेषाधिकारों को निकालने के लिए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के एफिलिएशन की शर्तों के बारे में अध्यादेश की धारा-5 एवं 6 तथा सी.डी.एल.यू.: कैलेण्डर 2011 खण्ड-I के अध्यादेश (परीक्षा अध्यादेशों से अन्य) का अध्याय-XIX

गई थी और न ही निरीक्षण समिति ने जांच करते समय, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनज, (हिसार) को छोड़कर, जिसके पास राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हरियाणा से सशर्त पर्यावरण क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र (11 जुलाई 2012) था, मार्च 2015 को इन पहलुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किया।

इसके अतिरिक्त, पी.सीज द्वारा गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं को चलाने और विद्यार्थियों एवं फैकल्टी की उपस्थिति की औचक जांच करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। तथापि, निर्देश में अग्रता लेते हुए एम.डी.यू. रोहतक ने 47 बी.एड. कालेजों का औचित निरीक्षण किया (दिसंबर 2014 तथा जनवरी/फरवरी 2015) तथा इन कालेजों में से 24 में स्पष्ट कमियां जैसे फैक्ल्टी, विद्यार्थियों, मूलभूत संरचना एवं अन्य सहायक प्रणाली की अनुपलब्धता देखी गई। यह सिफारिश की जाती है कि पी.सीज की कार्यप्रणाली की मानीटरिंग की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए औचक जांच की जानी चाहिए।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि इन मामलों पर संबद्ध विश्वविद्यालयों की सभा में चर्चा की जाएगी तथा पी.सीज की वित्तीय क्षमता तथा निरीक्षण समितियों में केन्द्रीय भवन उप-नियमों के अनुसार भवन मानकों की अनुपालना, निरीक्षण एवं औचक जांच के समय विडियोग्राफी का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा प्रावधान बनाए जाएंगे। यह भी बताया गया था कि संबद्ध विश्वविद्यालयों पर दवाब कम करने तथा अधिक अर्थपूर्ण निरीक्षण संचालित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध कालेजों की संख्या को स्ट्रीमलाइन करने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.3.6.4 वित्तीय तथा प्रशासकीय नियंत्रण की कमी

संबद्ध विश्वविद्यालय, अकादमिक दृष्टिकोण से एफिलिएशन की प्रदानगी से पहले निरीक्षण[30] तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए उसकी निरंतरता हेतु वार्षिक निरीक्षण[31] संचालित करने के लिए उत्तरदायी थे किंतु प्रशासकीय या वित्तीय लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। आगे, ए.आई.सी.टी.ई. की अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक के अनुसार आवेदक ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदन-पत्र (एल.ओ.ए.) की प्राप्ति के पश्चात् ही भूमि को गिरवी रखने, उस भूमि पर स्थित संस्थान के विकास के उद्देश्य के लिए संसाधनों की वृद्धि के लिए ही मुक्त होगा।

के.यू.के. के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि एस.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी, फतेहपुर पुंडरी (कैथल) ने संपत्ति (भवन तथा उपकरण) के गिरवी रखने के बाद पंजाब नेशनल बैंक से 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट में इंगित किए गए अनुसार ₹ 13.79 करोड़ का ऋण लिया। कालेज, ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित 256 विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर रखते हुए अकादमिक सत्र की मध्य अवधि के दौरान न्यायालय के माध्यम से बैंक ने संपत्ति जब्त कर ली (अप्रैल 2015)। विश्वविद्यालय ने तथापि, केवल 20 विद्यार्थियों को अन्य संस्थानों में शिफ्ट करने की व्यवस्था की। तीन अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया जबकि एक ने पढ़ाई छोड़ दी। शेष 232 विद्यार्थियों के भाग्य के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था। यदि

[30] के.यू.के.: कैलेण्डर खण्ड - I के अध्यादेश XVI के अध्याय 1 की धारा 3

[31] के.यू.के.: कैलेण्डर खण्ड - I के अध्यादेश XVI के अध्याय 1 की धारा 14

संस्थानों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों के अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा अध्यादेशों में पर्याप्त प्रावधान होते तो इस स्थिति से बचा जा सकता था।

ए.सी.एस., टी.ई. विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया तथा एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि मामले की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.3.7 पी.सीज तथा पी.यू. से प्राप्तियां और उनका लेखांकन

2.3.7.1 प्रोसेसिंग फीस के लेखांकन हेतु अभिलेख का रख-रखाव न करना/प्रोसेसिंग फीस प्रभारण हेतु प्रावधान का अभाव

(क) पी.सीज की स्थापना के लिए तैयार किए गए एच.ई. विभाग के दिशानिर्देश (जुलाई 2004) में नया कालेज खोलने के लिए ₹ 25,000 की दर पर प्रोसेसिंग फीस और नया कोर्स आरंभ करने के लिए ₹ 10,000 की दर पर कोर्स फीस का प्रावधान किया गया है। बुकलेट का मूल्य भी ₹ 100 प्रति कापी नियत किया गया था। इसके दृष्टिगत एच.ई. विभाग से प्राप्तियों एवं भुगतानों के अभिलेखों के रख-रखाव हेतु कैश-बुक/लेजर खोलना अपेक्षित था। विभाग ने जुलाई 2015 तक 206 (बी. एड-116, डिग्री-76, लॉ-14) प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए एन.ओ.सी. जारी किए। विभाग ने प्रोसेसिंग फीस के संबंध में अभिलेखों जैसे लेजर, कैश-बुक, बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति और उनके नकदीकरण को दर्ज करने का रजिस्टर इत्यादि का रख-रखाव नहीं किया। तथापि, कुछ रजिस्टर/रफ पेपर रखे गए थे जिनके अवलोकन ने दर्शाया कि नए कालेज खोलने के लिए 301 आवेदनों तथा नए कोर्स शुरू करने के लिए 215 आवेदनों के संबंध में प्रोसेसिंग फीस 2004-10 के दौरान प्राप्त की गई के रूप में दर्ज पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, 2004-08 के दौरान प्राप्त की गई लंबित सूची में से नए कालेज खोलने के लिए 42 आवेदन तथा नए कोर्स शुरू करने के लिए 14 आवेदन दर्ज किए गए नहीं पाए गए थे। इस पर वसूलनीय कुल राशि ₹ 108.65 लाख तक परिकलित की गई है। इस अवधि की बैंक विवरणी की जांच ने दर्शाया कि अक्तूबर 2008 तक प्रोसेसिंग फीस के कारण केवल ₹ 88.10[32] लाख की कुल प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, बैंक में ₹ 20.55 लाख की कम प्राप्ति हुई।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले को गंभीरता से लिया और मामले में उत्तरदायित्व नियत करने तथा सभी प्राप्तियों का लेखांकन करने हेतु सभी व्यवस्थाएं करने के लिए निदेशक, एच.ई. विभाग को आदेश दिया।

(ख) डिग्री कालेजों के लिए 2008-09 में दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे जिनमें प्रोसेसिंग फीस तथा कोर्स फीस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और प्रोसेसिंग फीस प्रभारित न करने के लिए कारण/तर्क रिकार्ड में दर्ज नहीं किए गए थे। इस प्रकार, दिशानिर्देश तैयार करने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। ये दिशानिर्देश 9 जनवरी 2014 तक लागू रहे। तत्पश्चात्, दिशानिर्देश 10 जनवरी 2014 को पुन: संशोधित किए गए थे जिनमें नए कालेज खोलने के लिए प्रोसेसिंग फीस की दर ₹ दो लाख नियत की गई थी। विभाग को 2008-09 में तैयार किए गए डिग्री कालेजों को खोलने के लिए प्रोसेसिंग फीस का प्रावधान न होने की चूक का पता

[32] ₹ 88,10,000 = {(272 X ₹ 25,000) + (201 X ₹ 10,000)}

नहीं चला यद्यपि लॉ कालेज खोलने के लिए अगस्त 2010 में नए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे जिनमें ₹ दो लाख की प्रोसेसिंग फीस नियत की गई थी। विभाग ने 2008 – 15 के दौरान 53 प्रस्तावों को प्रोसेस किया तथा 2009 – 16 के दौरान (अगस्त 2015 तक) डिग्री कालेजों को खोलने के लिए एन.ओ.सी. जारी किए। सरकार को प्रोसेसिंग फीस के कारण 2008 – 09 से 2013 – 14 की अवधि के दौरान (8 जनवरी 2014 तक) ₹ 97[33] लाख का राजस्व छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कोर्स फीस नियत न करने के कारण राजस्व की हानि थी।

एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि प्रोसेसिंग फीस की वसूली के लिए कोई उपाय नहीं था क्योंकि इसे पूर्व – प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। तथ्य यह रहता है कि सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने में त्रुटिपूर्ण प्रणाली के कारण ₹ 97 लाख के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

(ग) उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के अनुसार, एम.ई.आर. विभाग (नर्सिंग शाखा) ने 2007 – 11 के दौरान 97 एन.ओ.सीज जारी किए और निजी नर्सिंग महाविद्यालयों/विद्यालयों की स्थापना के लिए 544 प्रस्ताव प्रोसेस किए। ब्रोचर के विक्रय से प्राप्त राशि सहित प्राप्य कुल प्रोसेसिंग फीस ₹ 1.86 करोड़ परिकलित की गई। यद्यपि ₹ 0.58[34] करोड़ की प्राप्ति के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध थे, ₹ 1.28 करोड़ की शेष राशि बिना मिलान के रह गई (दिसंबर 2015)। ₹ 9.10 लाख की आहरित राशि में से, ₹ 6.22 लाख टी.ए./डी.ए., टी सेट, पर्दे, सोफा कवर इत्यादि की खरीद पर खर्च कर दिए गए। ₹ 2.88 लाख की शेष राशि का कोई लेखा विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि उनका निदेशालय 2009 में अस्तित्व में आया और नर्सिंग शाखा से संबंधित कार्य जनवरी 2011 में शिफ्ट किया गया। इससे पहले, लेखे डी.जी.एच.एस. द्वारा रखे गए थे। आगे यह बताया गया कि मामला मिलान के लिए डी.जी.एच.एस. के साथ उठाया जाएगा।

(घ) 43 मामालों में आवेदको से 31 दिसंबर 2008 और 14 जुलाई 2014 के बीच प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त ₹ 10.70 लाख मूल्य के बैंक ड्राफ्ट क्लीयरेंस के लिए बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए थे और विभाग के पास पड़े थे (दिसंबर 2015)। अन्य 39 मामलों में 7 जनवरी 2009 और 18 अगस्त 2009 के बीच प्राप्त ₹ 1.95 लाख मूल्य के बैंक ड्राफ्ट पुनर्वैधता (रिवैलिडेशन) के लिए स्पोंसरिंग निकायों/प्रबंधन को वापस कर दिए गए (अप्रैल 2010)। तथापि, यह प्रमाणित करने के लिए कि यह बैंक ड्राफ्ट वापस प्रापत किए गए थे, एम.ई.आर. विभाग के पास कोई अभिलेख नहीं था (मार्च 2015)।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि 10 मामलों में एन.ओ.सी. जारी किए गए थे और 33 मामले लंबित थे। रिवैलिडेशन के लिए आवेदको को वापस किए गए जहां तक संबंध है यह बताया गया कि ₹ 1.95 लाख के बैंक ड्राफ्टस का डी.जी.एच.एस. से स्थिति इकट्ठी की जा रही है।

[33] 2009 – 10: 4 X ₹ 25,000 + 2011 – 16: 48 X ₹ 2,00,000 = ₹ 97 लाख। एक मामले में फीस प्राप्त की गई (2015)।

[34] आहरित: ₹ 9.10 लाख; ड्राफ्ट अस्वीकृत: ₹ एक लाख और पास बुक्स में शेष: ₹ 47.73 लाख।

(ड.) एम.ई.आर. के मार्ग निर्देशों में मैडिकल, आयुर्वेदिक, दंत, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय इत्यादि खेलने के लिए, अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (ई.सी.) जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने मार्च 2015 तक 42[35] ई.सीज जारी कर दिए थे। किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में विभाग ई.सीज को जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस वसूल नहीं कर सका। विभाग राजस्व सृजित करने हेतु ई.सी. जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस नियत करने पर विचार कर सकता है।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रोसेसिंग फीस के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

ऊपर के उदाहरण विभागों का वित्तीय लेन-देनों पर अपर्याप्त नियंत्रण इंगित करते है जो निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से पूर्ण है।

2.3.7.2 बैंक गारंटियों के संबंध में देखी गई अनियमितताएं

(i) स्वयं वित्तपोषित आधार पर नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय खोलने के लिए परिचालन मार्गनिर्देशों (2007) के अनुच्छेद 2(3) के अनुसार, आवेदक द्वारा एम.ई.आर. विभाग को प्रतिभूति के रूप में समय-समय पर नवीकृत बैंक गारंटी या एफ.डी.आर. मूलरूप में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। राज्य सरकार ने आगे जी.एन.एम./ए.एन.एम. के लिए ₹ 50 लाख तथा बी.एस.सी. नर्सिंग (बेसिक और पोस्ट बेसिक) एम.एस.सी नर्सिंग के लिए ₹ एक करोड़ की दर पर बैंक गारंटी की राशि निर्धारित की (अगस्त 2008)। यदि संस्थान अपने आप को चलाने/कायम रखने में असमर्थ होता है तो नामांकित छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए/स्टाफ के वेतन और संस्थाओं को चलाने की अन्य लागतों का भुगतान करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बी.जीज/एफ.डी.आरज जब्त कर ली जाएगी।

यह देखा गया कि 290 छात्रों[36] की संस्वीकृत भरती के साथ गांव बुडेरा, जिला गुड़गांव में दशमेश कालेज आफ नर्सिंग स्थापित करने के लिए दशमेश ऐजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट को दिसंबर 2012 और जून 2013 के बीच अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सीज) जारी किए गए। मार्गनिदेर्शो के अनुसार ₹ तीन[37] करोड़ की कुल बैंक गारंटी अपेक्षित थी। तथापि, जनवरी 2012 में केवल बेसिक बी.एस.सी./बी.एस.सी. के संबंध में ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी लेने के बाद एन.ओ.सीज जारी किए गए और अंतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए कोई बी.जी. प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार ₹ दो करोड़ मूल्य की बी.जी. कम प्राप्त की गई थी (दिसंबर 2015)। आगे, जून 2012 में जी.एन.एम./ए.एन.एम. के संबंध में 40 छात्रों की मूल ईकाई और बी.एस.सी. नर्सिंग (बेसिक और पोस्ट बेसिक)/एम.एम.सी. 50 छात्रों के संबंध में बी.जी. की राशि नियत की गई (अगस्त 2011)। यह अवलोकित किया गया कि विभिन्न कोर्सो के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ बी.जी. की राशि बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

35 मेडिकल कालेज: 7, डेंटल कालेज: 13, फिजियोथेरेपी कालेज: 12, होम्योपैथी कालेज: 1 तथा आयुर्वेदिक कालेज: 9

36 जी.एन.एम.: 100, ए.एन.एम.: 40, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./बी.एस.सी: 100, एम.एस.सी.: 50

37 जी.एन.एम.: ₹ 50 लाख, ए.एन.एम.: ₹ 50 लाख, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./बी.एस.सी.: ₹ एक करोड़ और एम.एस.सी.: ₹ एक करोड़।

इस प्रकार, बी.जीज की अपर्याप्त राशि के कारण संस्थान चलाने में प्रबंधन की विफलता के समय विभाग वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु समर्थ नहीं होगा।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि छात्रों की भर्ती की क्षमता में वृद्धि के लिए बीजीज/एफ.डी.आरज की अतिरिक्त राशियां प्राप्त नहीं की जा रही थी और राशि नीति के अनुसार ली गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभिन्न कोर्सों के लिए अतिरिक्त बी.जीज अपेक्षित थी। आगे, चूकि बी.जीज का उद्देश्य संस्थान चलाने के लिए प्रबंधन की विफलता और विभाग पर पड़ने वाली जिम्मेदारी की घटना में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था, छात्रों के हितों के बचाव के लिए बी.जीज प्राप्त करना आवश्यक था।

(ii) एम.ई.आर. विभाग ने भिन्न-भिन्न कोर्सों/नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों और मेडिकल महाविद्यालयों के संबंध में भर्ती के लिए समान राशि की बी.जीज/एफ.डी.आरज प्राप्त की थी। यह अवलोकित किया गया कि संस्थान चलाने हेतु प्रबंधन की विफलता है और सरकार पर संस्थान चलाने के लिए सरकार पर पड़ने वाली जिम्मेदारी की घटना में विभन्न प्रकार के संस्थानों/कोर्सों/भर्तियों को चलाने के लिए खर्चे पूरे करने के लिए निधियों की आवश्यकता को मूल्यांकित करने के लिए कोई यंत्रावली नहीं थी। 150 सीटों की क्षमता वाली दो एम.बी.बी.एस. संस्थाओं से ₹ पांच करोड़ की बी.जीज प्राप्त की गई थी, जबकि 150 और 100 सीटों की क्षमता वाली दो अन्य एम.बी.बी.एस. संस्थाओं के संबंध में ₹ 10 करोड़ की बी.जीज प्राप्त की गई थी। आगे, तीन संस्थों से छात्रों की भर्ती की क्षमता 50 से 60, 60 से 100 और 50 से 100 तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बी.जी./एफ.डी.आर. प्राप्त नहीं की गई। यह प्रतिबिंबित करता है कि बी.जी./एफ.डी.आर. की राशि नियत करने में कोई निश्चित मानदंड लागू नहीं किए गए और छात्रों की भरती की क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त बी.जीज/एफ.डी.आरज प्राप्त करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए।

निदेशक, एम.ई.आर. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह स्वीकारते हुए कि बी.जी./एफ.डी.आर. की राशि का नियतन वास्तविक आवश्यकता या मूल्यांकन आधार पर नहीं था कहा कि इस संबंध में एक समुचित नीति बनाई जाएगी।

(iii) एच.ई. विभाग के 2008 में जारी मार्ग निर्देशों के क्लॉज-I के अनुसार, एक नया डिग्री कालेज (स्वयं वित्त पोषित) खोलने के लिए कालेज के स्पोंसरिंग निकाय से ₹ एक करोड़ की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त की जानी अपेक्षित है। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि तीन[38] कालेजों को बैंक गारंटियां प्राप्त किए बिना डिग्री कालेज शुरू करने के लिए एन.ओ.सीज दिए गए (नवंबर 2014)। इस प्रकार, विभाग द्वारा एन.ओ.सीज मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में जारी किए गए थे।

विभागीय अधिकारियों ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि दो[39] मामलों के संबंध में बी.जीज प्राप्त कर लिए गए हैं और शेष एक मामले में भी बी.जीज प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ए.सी.एस. ने मामले को गंभीरता से लिया और निदेशक, एच.ई. को ऐसे सभी मामलों की जांच

[38] (i) सी.आर., डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, ऐलनाबाद (सिरसा), (ii) गौरव डिग्री कालेज, आजम नगर (नारनौल) तथा (iii) करनाल डिग्री कालेज, कुंजपुरा (करनाल)।

[39] (i) सी.आर. डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, ऐलनाबाद (सिरसा), तथा (ii) करनाल डिग्री कालेज, कुंजपुरा (करनाल)।

करने और ऐसी गंभीर चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कहा। दो मामलों, जहां बी.जी. प्राप्त की गई है बताई गई थी, का आगे सत्यापन करने (जनवरी 2016) पर यह अवलोकित किया गया कि करनाल डिग्री कॉलेज, कुंजपुरा (करनाल) के संबंध में बी.जी. विभाग की अभिरक्षा में नहीं थी। निदेशक, एच.ई. विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि नौ और मामलों में बी.जीज प्राप्त नहीं की गई थी जबकि दो मामलों के संबंध में बी.जी. उनके अभिलेखों में ट्रेसेबल नहीं थी। आगे, ₹ 26.50 करोड़ की राशि के 27 मामलों में बी.जीज दिसंबर 2015 तक नवीकृत नहीं करवाए गए जबकि ये मार्च 2010 और नवंबर 2015 के बीच नवीकरण किया जाना वांछित था।

2.3.7.3 अनुचित लाभ

हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 और उसके अधीन नियमों की धारा 4(i) के प्रावधानों के अनुसार, एक आवेदन पत्र जिसमें प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट के साथ प्राइवेट सैक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि का सबूत हो, स्पोंसरिंग निकाय द्वारा ₹ 10 लाख की वापस न लौटाई जाने वाली फीस के साथ सरकार को दिया जाएगा।

पलवल (फरीदाबाद) में एक पी.यू. (स्वयं वित्त पोषित) स्थापित करने के लिए एक आवेदन पत्र एन.आई.आई.एल.एम. एजुकेशन ट्रस्ट, फरीदाबाद से ₹ 10 लाख की प्रोसेसिंग फीस के साथ प्राप्त हुआ (16 जून 2009)। स्पोंसरिंग निकाय ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के उप कुलपति की अध्यक्षता के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित शैक्षिक विशेषज्ञ समिति के सामने 4 जनवरी 2010 को मामले की प्रस्तुति के दौरान स्थान पलवल से कैथल परिवर्तित कर दिया। समिति ने प्रस्ताव नियमानुसार नहीं पाया (8 जनवरी 2010) क्योंकि ट्रस्ट कैथल में उपलब्ध भूमि के विवरण प्रस्तुत करने तथा पंचवर्षीय विकास योजना भी प्रस्तुत करने में विफल रहा। आगे, यह अवलोकित किया गया कि निरीक्षण की तिथि (8 जनवरी 2010) को कैथल जिले में स्पोंसरिंग निकाय के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि भूमि केवल 19 जनवरी 2010 को खरीदी गई थी। इस प्रकार, मामला प्रोसेसिंग फीस जब्त करने के साथ अस्वीकृत करने योग्य था। स्पोंसरिंग निकाय ने (23 जनवरी 2010) गांव मौजा (जिला कैथल) में 21 एकड 1 कनाल और 8 मरला भूमि की खरीद बारे सूचना प्रस्तुत की। तत्पश्चात, प्रधान सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में एक समिति ने 12 जुलाई 2010 को मामले पर विचार किया और कुछ शर्तों के तहत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लेटर आफ इनटेंट (एल.ओ.आई.) जारी करने की सिफारिश की और तदनुसार एल.ओ.आई. जारी कर दिया गया (सितंबर 2010)। उसके पश्चात्, एल.ओ.ई. की शर्तों की अनुपालना के लिए मामला पत्राचार अधीन रहा और अंत में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया (अगस्त 2011)। चूंकि प्रस्ताव सही नहीं था, पहले प्रस्ताव पर विचार करने की बजाय स्पोंसरिंग निकाय को ₹ 10 लाख की प्रोसेसिंग फीस के साथ एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 10 लाख की हानि हुई।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने बताया (दिसंबर 2015) कि अधिनियम की धारा 4(2) (ई) निर्धारित करती है कि 'भूमि की उपलब्धता और भवन और मूलभूत संरचना सुविधाओं के ब्यौरे, यदि पहले ही विद्यमान हैं, जिसका अर्थ है कि प्रस्ताव पर दोनो परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है अर्थात् स्पोंसरिंग निकाय के पास भूमि, इत्यादि है या नहीं। उत्तर तर्क पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए स्पोंसरिंग निकाय के पास भूमि की

उपलब्धता का प्रमाण प्रदान करना प्राथमिक शर्त थी। यहां संदर्भित शब्द 'यदि पहले ही विद्यमान' भवन तथा मूलभूत संरचना से संबंध रखते हैं भूमि से नहीं। चूंकि निरीक्षण के समय (8 जरवरी 2010) आवेदक के पास भूमि उपलब्ध नहीं थी, आवेदन पत्र अस्वीकृत करने योग्य था। मामले को अस्वीकृत न करके विभाग ने आवेदक को अनुचित लाभ दिया।

2.3.8 नियमों, विनियमों इत्यादि का कार्यान्वयन और मूलभूत संरचना और फैकल्टी की उपलब्धता

2.3.8.1 जाली दस्तावेजों पर मान्यता

एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम 2007 के लिए संशोधन के संबंध में 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि स्पोंसरिंग निकाय द्वारा भूमि, भवन योजना, मूलभूल संरचना, क्लासरूमज, प्रयोगशलाएं, पुस्तकालय, इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे के साथ एन.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय कार्यालय को ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तत्पश्चात, एन.सी.टी.ई. की क्षेत्रीय समिति द्वारा नए बी.एड कालेज खेलने के लिए स्थल निरीक्षण किया जाता है। किए गए निरीक्षण की वीडियोग्राफी की जानी अपेक्षित है। राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा भी एन.सी.टी.ई. को एक निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें/टिप्पणियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पी.सीज ने नियमों और विनियमों के उल्लंघन में मान्यता प्राप्त की जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(क) एन.सी.टी.ई. की उत्तरी क्षेत्रीय समिति ने गांव अलीकन (सिरसा) में 100 सीटों की भर्ती वाले नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन (एक बी.एड कालेज) खोलने की मान्यता दे दी (फरवरी 2014)। अस्थाई एफिलिएशन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी (सी.डी.एल.यू.) द्वारा निरीक्षण (16 सितंबर 2014) करने के बाद को प्रदान किया गया (17 सितंबर 2014)। भवन योजना के अभिलेखों, संस्थान के वेबसाईट के अवलोकन तथा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ स्थल निरीक्षण (21 अप्रैल 2015) ने दर्शाया कि सोसाईटी पहले ही परिसर, (भवन) में एक आई.टी.आई. और एक प्राथमिक स्कूल चला रही थी जिस पर संस्था ने तथ्यों को छिपाकर बी.एड. कालेज की मान्यता/संबंधन प्राप्त कर लिया था।

इस प्रकार, विनिमायक निकाय तथा एफिलिएशन विश्वविद्यालय के निरीक्षण समिति सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण सही ढंग से नहीं किया था। यदि इन समितियों ने सही निरीक्षण किया होता, गलत सूचना पर आधारित बी.एड कालेज की मान्यता/संबंधन की स्वीकृति का परिहार किया जा सकता था।

यह इंगित किए जाने पर सी.डी.एल.यू. ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की (मई 2015)।

(ख) एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार बी.ए.डी. कोर्स चलाने के लिए 1,500 वर्गमीटर (16,146 वर्ग मीटर) का निर्मित क्षेत्र और एच.ई. मार्गनिदेशों के अनुसार 10 जनवरी 2014 से नया डिग्री कालेज खोलने के लिए 25,000 वर्ग फीट का कुल निर्मित क्षेत्र अनिवार्य है।

एन.सी.टी.ई. ने सी.आर.डी.ए.वी गर्ल्ज कालेज ऑफ ऐजुकेशन (एक बी.ए.डी. कालेज), ऐलनाबाद, सिरसा को 100 सीटों की भर्ती के साथ मान्यता प्रदान की (दिसंबर 2010)। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी 2010-11 के शैक्षिक सत्र से अस्थाई एफिलिएशन प्रदान कर दिया (दिसंबर 2010) कालेज के एफिलिएशन का अधिकार क्षेत्र 2011-12 सत्र से सी.डी.एल.यू. को ट्रांसफर कर दिया गया।

तदनन्तर, सोसाइटी ने विद्यमान बी.एड कालेज की भवन योजना इस तरह से प्रस्तुत करके डी.जी.एच.ई. से (नवंबर 2014) एक डिग्री कालेज के लिए अस्थाई एन.ओ.सी. प्राप्त कर लिया कि भवन का एक हिस्सा बी.ए.डी. कालेज के लिए और शेष डिग्री कालेज के लिए दर्शाया गया। अपेक्षित मूलभूत संरचना और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए डिग्री कालेज के लिए अस्थाई एन.ओ.सी. दो वर्षों के लिए वैध था। सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत योजना की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि बी.ए.डी. कालेज के लिए आवृत क्षेत्र 16,146 वर्ग फुट की अपेक्षा के विरूद्ध 10,882.50 वर्ग फुट था और डिग्री कालेज के लिए 25,000 वर्ग फुट की अपेक्षा के विरूद्ध 12,223 वर्ग फुट था। सी.डी.एल.यू. ने, तथापि, जुलाई 2015 में 2015-16 सत्र से डिग्री कालेज के संबंध में अस्थाई एफिलिएशन प्रदान कर दिया (16 जुलाई 2015) जबकि 2015-16 सत्र के लिए बी.एड. कालेज के संबंध में अस्थाई संबध का एक्सटेंसन सितंबर 2015 को प्रक्रिया अधीन था।

इस प्रकार, अपर्याप्त भवन/मूलभूत संरचना के लिए सी.डी.एल.यू. द्वारा दोनों कालेजों को एफिलिएशन का एक्सटेंशन/स्वीकृति, गुणवत्ता शिक्षा के मूल प्रयोजन को समाप्त करते हुए मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में था।

(ग) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदेशों (20 अगस्त 2009) के अनुसार, एक ही परिसर के भीतर एक से अधिक नर्सिंग स्कूल/कालेज खोलने के लिए 4 एकड़ भूमि अपेक्षित थी। इसी प्रकार, दिनांक 31 अगस्त 2009 (एन.सी.टी.ई. विनियम) की अधिसूचना के परिशिष्ट 2 के अनुसार एक बी.एड. कालेज खोलने के लिए 2,500 वर्ग मीटर (5 कनाल) भूमि अपेक्षित थी।

अप्रैल 2015 में ऐलनाबाद (सिरसा) में एक संस्थान के सी.डी.एल.यू. के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण ने प्रकट किया कि नर्सिंग स्कूल और कालेज के साथ बी.एड. कालेज 4 एकड़ 0.60 कनाल की भूमि की कुल उपलब्धता के साथ एक ही भवन में चलाया जा रहा था जो केवल नर्सिंग स्कूल और कालेज चलाने के लिए पर्याप्त था। इन संस्थाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि 4 एकड़ 5 कनाल (नर्सिंग स्कूल: 4 एकड़ और बी.एड कालेज: 5 कनाल) थी। इस प्रकार, ये संस्थाएं भूमि अपेक्षा के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी।

यह इंगित किए जाने पर, सी.डी.एल.यू. ने संस्थान को स्पष्टीकरण देने और कमियों को दूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (मई 2015)। आगे, प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2015)।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान उपयुक्त चैक लिस्टें बनाकर और राज्य एफिलिएशन विश्वविद्यालयों के बीच कालेजों के तर्कसंगत पुनर्गठन तथा बराबर वितरण द्वारा निरीक्षणों की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सहमत हुए।

2.3.8.2 भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियां

गांव जेवड़ा (हिसार) में मानव इंस्टीटयूट ऑफ फार्मेसी, मानव इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलोजी एंड मैनेजमैंट और मानव इंस्टीटयूट ऑफ ऐजुकेशन (बी.एड. कालेज) (अगस्त 2007 और सितंबर 2008 के बीच मान्यता और एफिलिएशन प्राप्त) की 1 मई 2015 को एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन ने इन संस्थाओं में फर्निशड क्लासरूमज, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता का अभाव दर्शाया। दौरे के दिन संस्थान में बी.एड. छात्रों के लिए कोई कक्षाएं और प्राध्यापक वर्ग नहीं थे। प्रबंधन ने बताया (मई 2015) कि वे शिक्षण अभ्यास के लिए गए हुए थे जिसके लिए कोई प्रमाण जैसे शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कमियों के बावजूद 2010 – 15 के दौरान इन संस्थाओं का अस्थाई एफिलिएशन जारी रखा गया, फार्मेसी के संस्थान को छोड़कर जहां यू.एच.एस. ने 2014 – 15 सत्र के लिए अस्थाई एफिलिएशन बंद कर दिया। इस प्रकार, कमियों के साथ संस्थानों का एफिलिएशन सात से आठ वर्षों के लिए एफिलिएशन जारी रखा गया जिससे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया। कमियों के बावजूद, ए.आई.सी.टी.ई. ने न केवल फार्मेसी और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नाकोत्तर कोर्सों के लिए मान्यता बढ़ा दी बल्कि क्रमश: मार्च 2013 और अप्रैल 2013 में अंडर – ग्रेज्यूएट कोर्सों के लिए भर्ती की संख्या भी बढ़ा दी।

यू.एच.एस. ने बताया (मई 2015) कि संस्थान द्वारा कमियां सुधारने के लिए आश्वासन और अंडरटेकिंग के प्रस्तुतिकरण पर, 2009 – 10, 2010 – 11, 2012 – 13 और 2013 – 14 सत्रों के लिए संस्थान का अस्थाई एफिलिएशन बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई और निरीक्षण कमेटी ने 2011 – 12 में कमियां इंगित नहीं की। तथ्य यह रहता है कि विश्वविद्यालय ने कमियों के बावजूद इतनी लंबी अवधि के लिए अस्थाई एफिलिएशन की अनुमति दी।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान उपयुक्त चैक लिस्टें बनाकर और राज्य एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के बीच कालेजों के तर्कसंगत एवं बराबर वितरण द्वारा प्रणाली को सुचारू बनाने की सहमति दी।

2.3.8.3 भूमि प्रयोग के परिवर्तन के लिए अनुमति प्राप्त किए बिना एन.ओ.सी. जारी किया गया

एच.ई. विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुसार, एक पी.सी. खोलने के लिए आवेदक को लैटर आफ इनटेंट (एल.ओ.आई.) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। एल.ओ.आई. आगे निर्धारित करता है कि भूमि प्रयोग के परिवर्तन के लिए अनुमति (निदेशक ग्राम तथा नगर आयोजना विभाग) से प्राप्त की जानी चाहिए यदि भूमि का भाग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं और किसी शहरी/नियंत्रित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

एच.ई. विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2014 – 15 सत्र से के.डी. डिग्री कालेज, महेंद्रगढ़ को खोलने के लिए उपयुक्त सी.एल.यू. प्राप्त किए बिना एन.ओ.सी. जारी कर दिया गया (नवंबर 2014)। सी.एल.यू. प्राप्त करने की बजाय, भूमि की स्थिति के संबंध में कुछ सूचना और आवेदक द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तों जैसे विभिन्न विभागों के नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र नियमों के प्रावधानों की अनुपालना, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) से

पहुच प्राप्त करने की जिला नगर आयोजक, नारनौल से अनुमति इत्यादि से युक्त पत्र को सी.एल.यू. माना गया।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.3.8.4 वेब पोर्टल

सी.डी.एल.यू (दिसंबर 2012) के अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक कालेज के लिए इसकी वेबसाइट पर शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की, उनकी फोटो सहित और सभी मूलभूत संरचनाओं के ब्यौरों से संबंधित सभी सूचना यूनिवर्सिटी/काऊंसिल में वेबसाइट पर लिंक के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य था जिसका प्रत्येक मास की 10 तारीख को अद्यतन अवश्य किया चाना चाहिए। आगे, पी.यूज के मामले में, हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 34 सी (i) (के.) प्रावधान करती है कि दाखिला आरंभ होने की तिथि से पहले 60 दिन खत्म होने से पहले यूनवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर फीस, सीटों की संख्या, विद्यार्थियों की योग्यता की शर्तें, दाखिले की प्रक्रिया और छात्रों का चयन/टीचिंग फैक्ल्टी के विवरण, मूलभूत संरचना, पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आदि के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगी। तथापि, यह देखा गया था कि भौतिक रूप से सत्यापित किए गए (अप्रैल 2015) 11 संस्थानों में से नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलिका (सिरसा) ने अपनी वेबसाइट विकसित नहीं की थी। आगे, पी.सीज तथा पी.यूज भी अपनी वेबसाइट नियमित रूप से अद्यतन नहीं कर रहे थे।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि पी.यूज द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना को मानीटर करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक अलग शाखा अर्थात् प्राईवेट यूनिवर्सिटी विनियामक शाखा की स्थापना की जाएगी। यह भी बताया गया था कि पी.सीज में इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

2.3.8.5 आरक्षण/फीस रियायत नीति का कार्यान्वयन

हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालयों अधिनियम 2006 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियम पी.यूज में सरकारी नीति के अनुसार हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण तथा फीस रियायत का प्रावधान करते हैं।

यह देखा गया कि एच.ई. विभाग ने पी.यूज द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक रिटर्नें निर्धारित की थी लेकिन ये रिटर्नें पी.यूज द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। पांच चयनित पी.यूज द्वारा 16 वार्षिक रिटर्नों की प्रस्तुति की आवश्यकता के विरूद्ध, मार्च 2015 तक केवल पांच रिटर्नें प्रस्तुत की गई थी। आगे, रिटर्नें सही तरीके से नहीं भरी गई थी क्योंकि एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय द्वारा 2011-12 तथा 2012-13 की अपनी रिटर्नों में विद्यार्थियों को दी गई फीस रियायत के ब्यौरे नहीं भरे गए थे। पी.यूज ने यह जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि पी.यूज द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना को मानीटर करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक अलग शाखा यानि प्राईवेट विश्वविद्यालय नियामक शाखा स्थापित की जाएगी।

2.3.8.6 आधारभूत संरचना

लेखापरीक्षा द्वारा एच.ई., एम.ई.आर. तथा टी.ई. विभागों तथा एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के अभिलेखों के अवलोकन के साथ-साथ 11 पी.सीज में एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2015) ने निम्नलिखित कमियां दर्शाई:

- किसी भी पी.सीज में विकलांग तथा वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा रहित पर्यावरण सहित महिलाएं तथा पुरूषों के लिए अलग से विशेष रूप से डिजाईन किए गए शौचालयों की उपलब्धता नहीं थी। रैम्प का प्रावधान केवल दो[40] संस्थानों में था।
- लॉर्ड शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशन, सिरसा में छात्रावास में सही आधारभूत संरचना, स्वच्छता सुविधाएं, मैस सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं नहीं थी। ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशनज, हिसार में लड़कियों के छात्रावास का ग्राउंड फ्लोर स्टाफ के आवास के रूप में प्रयुक्त किया था तथा छात्रावास के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी।
- पांच[41] पी.सीज में सही स्वच्छता नहीं थी; तथा
- चार[42] संस्थानों में प्रयोगशालाएं पूरी तरह से साज-समान सहित नहीं थी जबकि पांच[43] संस्थानों में पुस्तकालय पूरी तरह से साज-समान सहित नहीं थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने आश्वासन दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पी.सीज/पी.यूज के भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली स्थापित की जाएगी।

2.3.8.7 कम योग्यता प्राप्त प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति

यू.जी.सी. विनियमों (अनुच्छेद 4.4.5) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर/लैक्चरर की निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की थी:

- प्रोफेसर/डीन/एसोसिएट प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री तथा अध्यापन, अनुसंधान तथा उद्योग में 10 या अधिक वर्षों

40 (i) ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज हिसार तथा (ii) मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार)।

41 (i) आर.आर. कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) (ii) एपेक्स कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) (iii) ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, हिसार, (iv) लार्ड शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, सिरसा तथा (v) मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार)।

42 (i) नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलिका (हिसार), (ii) चौधरी छोटू राम जाट कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) तथा (iii) सी.आर. डी.ए.वी. गर्ल्ज कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) तथा (iv) मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार)।

43 (i) नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलिका (हिसार), (ii) चौधरी छोटू राम जाट कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा) (iii) सी.आर.डी.ए.वी. गर्ल्ज कालेज ऑफ एजुकेशन, ऐलनाबाद (सिरसा), मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशनज, जेवरा (हिसार) तथा (iv) सी.एस.एल. इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांसड स्टडीज, सिरसा।

(प्रोफेसर/डीन)/आठ या अधिक वर्ष (एसोसिएट प्रोफेसर) का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का सहायक प्रोफेसर स्तर या समकक्ष ग्रेड का अनुभव हो, या यदि उम्मीदवार उद्योग या व्यवसाय से है, तो उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टरज डिग्री तथा महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य जिसे उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. के समकक्ष माना जा सके, का होना अनिवार्य था।

- सहायक प्रोफेसर/लैक्चरर: उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

यू.जी.सी. अभिलेखों तथा एच.ई. विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिर्पोटों से संगृहीत (जुलाई 2015) पांच चयनित पी.यूज में से चार[44] से संबंधित सूचना के अवलोकन ने दर्शाया कि चार पी.यूज ने स्नातक स्तर तक या इससे भी कम की योग्यता तथा वह भी अपेक्षित अनुभव के बिना, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए 51 प्राध्यापक (प्रोफेसर: 8, एसोसिएट प्रोफेसर: 10 तथा सहायक प्रोफेसर: 33) नियुक्त किए थे। आगे, तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक विभाग में कम से कम एक प्रोफेसर तथा दो एसोसिएट प्रोफेसर प्राध्यापक आवश्यकता तथा ए.आई.सी.टी.ई. के संवर्ग अनुपात मानदण्डों के विरूद्ध कैथल में स्थित एक पी.यू. में कोई प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया गया था। प्राध्यापक की योग्यता के बारे में अद्यतित जानकारी न तो यू.जी.सी. द्वारा और न ही एच.ई. विभाग द्वारा रखी गई थी (दिसंबर 2015)। आगे, सूचना को दिखाते हुए संबंधित विश्वविद्यालयों की रिपोर्टें एच.ई. विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिनकी अनुपस्थिति में पी.यूज में तैनात प्राध्यापक की योग्यता की वर्तमान स्थिति को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने बताया कि इस संबंध में पी.यूज का डाटा एकत्रित किया जाएगा, निरीक्षित किया जाएगा तथा चूककर्त्ता पी.यूज के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी तथा पी.सीज के संबंध में, मामले को देखने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों को निदेश जारी कर दिए जाएंगे।

2.3.9 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमों की अनुपालना के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि मान्यता, संबंधन, निरीक्षण, वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण, बैंक गारंटी को प्राप्त करना आदि जैसा कि पिछले पैरों में चर्चा की गई है के संबंध में प्राइवेट संस्थाओं के खोलने पर नियंत्रण का अभाव था। इनके अतिरिक्त शिकायतों के निवारण निम्न प्रणाली विफलता, प्राइवेट कालेजों तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर अल्प नियंत्रण अवलोकित की गई थी:

2.3.9.1 शिकायतों का निवारण

प्रशासनिक विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों पर अनुक्रिया तथा उनका सही निपटान न केवल जमीनी स्तर तक कार्य प्रणाली पर बेहतर नियंत्रण करने में मदद करता है बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावकारिता भी लाता है। शिकायतों से संबंधित कोई भी रिकार्ड किसी

[44] (i) अंसल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव (2012-13 की रिपोर्ट), (ii) एन.आई.आई.एल.एम. यूनिवर्सिटी, कैथल (2011-12 तथा 2012-13 की रिपोर्ट), (iii) एम.वी.एन. यूनिवर्सिटी, पलवल (2012-13 की रिपोर्ट) तथा (iv) आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गांव (2009-10 की रिपोर्ट)।

विभाग/विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया था। तथापि, 44 शिकायतों के विवरण प्रदान किए गए थे {यू.एच.एस. 6, एच.ई. (विश्वविद्यालय शाखा) 6: तथा टी.ई. 32}।

प्राप्त सूचना के अवलोकन ने दर्शाया कि विभाग में शिकायत निवारण प्रक्रिया बहुत घटिया थी क्योंकि मार्च 2015 तक केवल पांच मामलों में (एच.ई.-1 तथा टी.ई.-4) एक तर्कपूर्ण ढंग से शिकायतों का निपटान किया गया था। तथापि, यू.एच.एस. ने सभी शिकायतों का एक तर्कपूर्ण सिरे से निपटान कर दिया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एसज ने आश्वासन दिया कि शिकायतों के निवारण की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी।

2.3.9.2 अन्य मामले

(i) हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्याल अधिनियम 2006 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियम पी.यूज के ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रावधान करते हैं। पी.यूज को एच.ई. विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज/रिटर्नें प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं, बैलेंस शीटों तथा आडिट रिपोर्टस के साथ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से समायुक्त वार्षिक रिपोर्टें।

(ख) विद्यार्थियों द्वारा देय फीस तथा प्रभारों के विवरण, प्रत्येक कोर्स/कार्यक्रम के संबंध में संस्वीकृत सीटों की संख्या, विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया, शिक्षण वर्ग के, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव सहित विवरण, भौतिक तथा अकादमिक मूलभूत संरचना तथा विद्यार्थियों को प्राप्त अन्य सुविधाएं तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा प्रोस्पैक्टस में प्रकाशित सभी अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित सूचना सरकार को एक कापी के साथ अनिवार्य रूप से बताना।

(ग) एच.ई. या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय या व्यक्तियों द्वारा वार्षिक अकादमिक तथा प्रशासनिक लेखापरीक्षा।

तथापि यह अवलोकित किया गया था कि पी.यूज द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, एच.ई. विभाग, विद्यमान यंत्रावली के बावजूद इन मामलों पर सही नियंत्रण नहीं कर रहा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस., एच.ई. विभाग ने बताया कि प्रस्तावित प्राइवेट विश्वविद्यालय विनियामक शाखा द्वारा अनुपालना मानीटर की जाएगी तथा पी.यूज की अकादमिक तथा प्रशासनिक लेखापरीक्षा के लिए यह बताया गया था कि सही एजेंसी चयन करने के बाद यह कार्य आऊटसोर्स से करवाया जाएगा।

(ii) मार्गनिर्देशों में विभाग द्वारा पी.सीज की लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह इंगित किए जाने पर, ए.सी.एस., एम.ई.आर. विभाग ने बताया (दिसंबर 2015) कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के निरीक्षण करने के लिए विभाग प्रस्ताव रख रहा है।

2.3.10 निष्कर्ष

प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए नियम तथा विनियम ठोस नहीं थे। राज्य सरकार/एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना मान्यता दी गई थी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, प्राध्यापक वर्ग आदि रखने वाले कालेजों को विश्वविद्यालय एफिलिएशन प्रदान कर रहे थे। विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित निरीक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 2008-14 के दौरान प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग फीस वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई। एच.ई. तथा एम.ई.आर. विभागों ने सरकारी प्राप्तियों का सही रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया था। अपेक्षित राशि की बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना एम.ई.आर. विभाग द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, एच.ई. विभाग द्वारा बैंक गारंटियां प्राप्त किए बिना ही कुछ मामलों में अनापति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। प्राइवेट कालेज अपर्याप्त आधारभूत संरचना के साथ चल रहे थे। नमूना-जांच की गई पांच प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से चार में कम योग्यता प्राप्त प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कमजोर थी।

2.3.11 सिफारिशें

सरकारी/एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय विचार कर सकते हैं:

- निर्धारित अवधि के भीतर ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. को टिप्पणियों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना ताकि केवल पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा फैकल्टी वाले संस्थान मान्यता प्राप्त करें;
- पर्याप्त शिक्षण वर्ग, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं आदि सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा संस्थानों के एफिलिएशन की प्रणाली की पुन: समीक्षा करना;
- विश्वविद्यालयों/संबंधित विभागों द्वारा पी.सीज के नियमित निरीक्षण के लिए प्रावधान करना;
- एच.ई. तथा एम.ई.आर. विभागों द्वारा प्राप्तियों के सही अभिलेखों का रख-रखाव;
- एन.ओ.सी ज जारी करने से पहले उपयुक्त राशि की बैंक गारंटियों की प्राप्ति सुनिश्चित करना; तथा
- शिकायत निवारण, रिटर्नों की प्रस्तुति तथा पी.यूज/पी.सीज द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण के लिए सही प्रणाली विकसित करना।